

अध्याय 4

राजस्व क्षेत्र की अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय का सारांश:

इस अध्याय में राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत वाणिज्यिक कर—जीएसटी विभाग से संबंधित तीन अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के संक्रमणकालीन क्रेडिट पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) विद्यमान विधियों के अंतर्गत भुगतान किए गए विभिन्न करों जैसे मूल्य संवर्धित कर (वैट) के लिए अर्जित संक्रमणकालीन क्रेडिट दावों के सत्यापन के लिए विभागीय तंत्र की पर्याप्तता और प्रभावशीलता का आकलन और जीएसटी व्यवस्था में करदाता द्वारा अग्रेनित किए गए संक्रमणकालीन क्रेडिट की वैधता और स्वीकार्यता का आकलन करने के लिए की गई थी। लेखापरीक्षा ने कई कमियां देखी जैसे कि संक्रमणकालीन क्रेडिट दावों की अनियमित प्राप्ति; वैट संक्रमणकालीन क्रेडिट का अधिक अग्रेनयन; अधिक दावा किए गए संक्रमणकालीन क्रेडिट के वापसी पर ब्याज का भुगतान न करना और विभाग ने वैट विवरणी के साथ सभी संक्रमणकालीन क्रेडिट प्रकरणों को प्रति सत्यापित नहीं किया था।

वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के अंतर्गत कर—वापसी (प्रतिदाय) के प्रकरणों की विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा का उद्देश्य अधिनियम, नियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों आदि की पर्याप्तता; कर अधिकारियों द्वारा वर्तमान प्रावधानों का अनुपालन; करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियों की प्रभावकारिता और व्यापार की सुविधा के लिए प्रतिदायों के आवेदनों को निराकरण में विभागीय अधिकारियों के प्रदर्शन की जाँच के लिए प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र के अस्तित्व का आकलन करना था। लेखापरीक्षा ने कमियां देखी जैसे (i) प्रतिदाय दावे की पावती जारी करने, प्रतिदाय आदेश की स्वीकृति और संबंधित विभाग को प्रतिदाय आदेशों की सूचना देने में विलंब, तथा उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना प्रतिदाय दावों की अस्वीकृति; (ii) अधिनियम/नियमों का पालन न करने और गणना में त्रुटि के कारण अधिक प्रतिदाय के प्रकरण और (iii) वस्तुओं और सेवाओं की शून्य रेटेड आपूर्ति के अलावा अन्य प्रकरणों में अनन्तिम प्रतिदाय की स्वीकृति के कारण अनियमित रूप से प्रतिदाय देना आदि।

वाणिज्यिक कर विभाग की अनुपालन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित एवं मूल्यांकन करने के लिए किया गया कि क्या करों का निर्धारण मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम एवं प्रवेश कर अधिनियम में निर्धारित प्रक्रियानुसार किया गया; कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई कर छूट/रियायत की लागू दरें वैध घोषणा फार्म द्वारा समर्थित थे और प्रस्तुत की गई कर विवरणियों की प्रारंभिक जाँच में कर निर्धारण प्राधिकारी ने यथोचित प्रयास किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि वस्तुओं के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण विभाग ने मूल्य संवर्धित कर तथा प्रवेश कर की गलत दर अधिरोपित की तथा बिना वैधानिक फार्म के केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अंतर्गत अंतर्राज्यीय विक्रय पर, भंडार के अंतरण पर, पारगमन विक्रय पर कर की रियायती दर की अनुमति प्रदान की।

4.1 वस्तु एवं सेवा कर के संक्रमणकालीन क्रेडिट पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

4.1.1 प्रस्तावना

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की प्रस्तुति अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में हमारे देश में एक महत्वपूर्ण सुधार है, जिसने केन्द्र और राज्यों द्वारा लगाए और एकत्र किए गए कई करों को प्रतिस्थापित किया। जीएसटी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर एक गंतव्य आधारित कर है, जिसे बह—स्तरों पर लगाया जाता है जहाँ आपूर्ति के साथ ही कर आगे बढ़ेगे। कर उसी कर प्राधिकारी को देय होगा जिसका आपूर्ति के स्थान पर क्षेत्राधिकार है। यह कर केन्द्र और राज्यों के द्वारा एक साथ समान आधार पर लगाया जाता है। केन्द्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) राज्य के भीतर आपूर्तियों पर लगाया जाता है और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) अंतराज्यीय आपूर्तियों पर लगाया जाता है। आउटपुट कर देयता के विरुद्ध समायोजन के लिए इनपुट, इनपुट सेवाओं और पूँजीगत वस्तुओं पर भुगतान किए गए करों के इनपुट कर क्रेडिट की उपलब्धता जीएसटी की एक प्रमुख विशेषता है। यह करों के ऊपर पुनः कर लगाने के प्रभाव को हटाएगा तथा यह विक्रेता से क्रेता की ओर क्रेडिट का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करता है। जीएसटी व्यवस्था में विद्यमान कानूनों से इनपुट कर के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए जीएसटी अधिनियम में 'इनपुट कर के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्था' को सम्मिलित किया गया था ताकि विद्यमान कानूनों के अंतर्गत प्रदत्त उपयुक्त करों अथवा शुल्कों के संबंध में इनपुट कर की हकदारी और दावा करने के तरीके का प्रावधान किया जा सके। शासन और व्यवसाय दोनों के लिए संक्रमणकालीन क्रेडिट के प्रावधान महत्वपूर्ण है। व्यवसाय के लिए, संक्रमणकालीन क्रेडिट के प्रावधान पुराने विवरणी में सचित क्रेडिट, कच्चे माल, प्रगतिरित कार्य, नियत दिन पर स्टॉक में रखे तैयार वस्तुओं के संबंध में इनपुट कर के साथ—साथ पूँजीगत वस्तुओं के संबंध में क्रेडिट का जीएसटी व्यवस्था में स्थानांतरण को सुनिश्चित करते हैं। यह प्रावधान करदाताओं को ऐसे इनपुट कर क्रेडिट को तभी स्थानांतरित करने में सक्षम बनाते हैं जब उनका उपयोग सामान्यतः व्यवसाय के दौरान या व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है।

4.1.2 कर प्रशासन

राज्य कर विभाग के अंतर्गत पाँच संभाग और 30 वृत्त हैं। शासन के स्तर पर राज्य कर विभाग, प्रमुख सचिव द्वारा प्रशासित होता है। आयुक्त, राज्य कर विभाग का प्रमुख होता है और उसकी सहायता के लिए एक विशेष आयुक्त, तीन अतिरिक्त आयुक्त, 12 संयुक्त आयुक्त, 26 उपायुक्त, 72 सहायक आयुक्त, 121 राज्य कर अधिकारी, 174 राज्य कर निरीक्षक हैं जो छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर (सीजीजीएसटी) अधिनियम, 2017 में निहित किये गये कार्यों के अनुसार कार्य करते हैं। दिनांक 4 अक्टूबर, 2021 की स्थिति अनुसार उपरोक्त स्वीकृत पद के विरुद्ध विभाग में 10 संयुक्त आयुक्त, 20 उपायुक्त, 54 सहायक आयुक्त, 71 राज्य कर अधिकारी एवं 115 राज्य कर निरीक्षक कार्यरत हैं।

4.1.3 इनपुट कर के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं—कानूनी प्रावधान

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 करदाताओं को जीएसटी व्यवस्था में विद्यमान कानूनों के अंतर्गत अर्जित इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) को अग्रेन्ट करने को सक्षम बनाती है। छत्तीसगढ़ जीएसटी नियम, 2017 के नियम 117 के साथ सहपठित, यह धारा इस संबंध में विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करती है। आईटीसी के लिए

संक्रमणकालीन व्यवस्था के अंतर्गत विद्यमान कानूनों के तहत भुगतान किए गए विभिन्न करों जैसे मूल्य संवर्धित कर (वैट क्रेडिट) के आईटीसी को निम्नानुसार जीएसटी व्यवस्था में अग्रेन्टि किया जा सकता है:

- क) **अंतिम विवरणी में क्रेडिट का अंत-शेष:** विद्यमान कानूनों के तहत नियत दिन से ठीक पहले के माह के लिए जमा किये गये विवरणियों में उपलब्ध वैट क्रेडिट का अंत-शेष इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट के तौर पर लिया जा सकता है।
- ख) **पूँजीगत वस्तुओं पर अप्रयुक्त क्रेडिट:** पूँजीगत वस्तुओं पर अप्रयुक्त क्रेडिट की शेष किश्त जीएसटी ट्रान-1 में अपेक्षित घोषणा करके लिया जा सकता है।
- ग) **कर भुगतान किए गए स्टॉक पर क्रेडिट:** निर्माता या सेवा प्रदाता के अलावा एक पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति, बीजक के आधार पर स्टॉक में रखे गए वस्तुओं पर भुगतान किए गए कर का क्रेडिट ले सकता है।
- घ) **कर भुगतान किए गए स्टॉक पर क्रेडिट जब पंजीकृत व्यक्ति के पास वैट भुगतान के साक्ष्य का अभिलेख नहीं है:** जिन व्यापारियों के पास वैट बीजक नहीं हैं, उनके लिए कर भुगतान किये गए स्टॉक पर क्रेडिट की अनुमति देने के लिए एक तंत्र है।
- ङ) **विद्यमान कानूनों के तहत छूट प्राप्त वस्तुओं से संबंधित क्रेडिट जो अब कर योग्य हैं:** छूट प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं के इनपुट, अर्ध-तैयार और तैयार वस्तुओं के स्टॉक के संबंध में वैट का इनपुट कर क्रेडिट जो अब जीएसटी में कर योग्य है।
- च) **मार्गस्थ इनपुट/इनपुट सेवाएं:** नियत दिन को या उसके बाद प्राप्त इनपुट या इनपुट सेवाएं लेकिन उस पर शुल्क या कर का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा विद्यमान विधि के तहत किया गया था।
- छ) **विद्यमान कानून के तहत कम्पोजिशन योजना के तहत चुकाये गये कर:** जिन करदाताओं ने विद्यमान कानून के तहत देय कर के बदले निश्चित दर या निश्चित राशि पर कर का भुगतान किया था, अब जीएसटी के तहत सामान्य योजना के तहत काम कर रहे हैं, वे नियत तिथि पर अपने इनपुट स्टॉक, अर्ध-निर्मित और तैयार स्टॉक पर क्रेडिट का दावा कर सकते हैं।
- ज) **मूल्य संवर्धित कर अधिनियम और वित्त अधिनियम, 1994 के तहत किसी भी आपूर्ति पर भुगतान किए गए कर के संबंध में क्रेडिट:** आपूर्ति के संबंध में संक्रमणकालीन क्रेडिट जो विद्यमान कानूनों के तहत वैट और सेवा कर दोनों को आकर्षित करता है, जिसके लिए नियत तिथि से पहले कर का भुगतान किया गया था और जिसकी आपूर्ति नियत तिथि के बाद की गई है।

करदाता, अधिनियम की धारा 140 की प्रासंगिक उप-धाराओं के तहत संक्रमणकालीन क्रेडिट के घटकों का दावा नीचे उल्लिखित उपयुक्त तालिका में फॉर्म-ट्रान-1 और ट्रान-2 में कर सकते हैं।

विवरणी	तालिका संख्या	संक्रमणकालीन क्रेडिट घटक
ट्रान-1	5(ग)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अग्रेन्टि कर क्रेडिट
ट्रान-1	6(ख)	राज्य/संघ राज्य के अप्रयुक्त कर क्रेडिट
ट्रान-1	7(ख)	इनपुट के संबंध में योग्य शुल्क और कर/वैट/प्रवेश कर
ट्रान-1	7(ग)	बीजक द्वारा समर्थित इनपुट पर वैट और प्रवेश कर की भुगतान राशि

द्रान-2	7(घ)	वस्तुओं का स्टॉक जिनके कर भुगतान के प्रमाण बीजक / दस्तावेजों से समर्थित नहीं है
द्रान-1	10(क)	प्रधान की ओर से स्टॉक में रखे गए सामान
द्रान-1	11	धारा 142 (11) (सी) के तहत लिए गए क्रेडिट का विवरण

कम्पोजिशन योजना (अधिनियम की धारा 10 के तहत) के तहत कर के भुगतान का विकल्प चुनने वालों को छोड़कर सभी पंजीकृत करदाता, नियत दिन से 90 दिनों के भीतर द्रान-1 विवरणी दाखिल करके संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा करने के पात्र हैं। प्रारंभ में द्रान-1 विवरणी दाखिल करने की समय सीमा 27 दिसंबर, 2017 तक बढ़ा दी गई थी। हालांकि, कई करदाता तकनीकी कठिनाइयों के कारण नियत तारीख के भीतर विवरणी दाखिल नहीं कर सके। इसलिए, ऐसे करदाताओं को समाहित करने के लिए सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 117 के तहत उप-नियम 1ए को अधिसूचना क्रमांक 48/2018 सीटी दिनांक 10 सितंबर 2018 द्वारा सम्मिलित किया गया एवं समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च, 2019 किया गया था।

4.1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

संक्रमणकालीन क्रेडिट दावे सीधे तौर पर जीएसटी राजस्व को प्रभावित करते हैं क्योंकि यह क्रेडिट करदाताओं की आउटपुट कर देयता के विरुद्ध समायोजन के योग्य है। इस प्रकार, संक्रमणकालीन क्रेडिट की लेखापरीक्षा निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ यह आश्वासन प्राप्त करने हेतु की गई कि:

- i) क्या संक्रमणकालीन क्रेडिट दावों के सत्यापन के लिए विभाग द्वारा परिकल्पित तंत्र पर्याप्त और प्रभावी था; तथा
- ii) क्या करदाताओं द्वारा जीएसटी व्यवस्था में अग्रेनित किए गए संक्रमणकालीन क्रेडिट वैध और स्वीकार्य थे।

4.1.5 लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र

लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 के तहत करदाताओं द्वारा नियत तिथि¹ से लेकर मार्च 2020 के अंत तक दाखिल किए गए संक्रमणकालीन क्रेडिट विवरण की समीक्षा शामिल है। इसमें संक्रमणकालीन क्रेडिट के लिए अधिनियम के तहत निर्दिष्ट नियमों की पर्याप्तता, विभागीय सत्यापन प्रक्रिया की प्रभावशीलता, पाए गए विचलनों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई, संक्रमणकालीन क्रेडिट के संबंध में अंतर-क्षेत्राधिकारिता कार्यों के कार्यान्वयन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और अनुपालन आश्वासन हेतु चयनित संक्रमणकालीन क्रेडिट दावों की स्वतंत्र जाँच शामिल है।

4.1.6 लेखापरीक्षा पद्धति

संक्रमणकालीन क्रेडिट दावों की लेखापरीक्षा के लिए अपनायी गयी कार्यप्रणाली में चयनित नमूनों का डेटा विश्लेषण, अंतर्निहित अभिलेखों के किए जाने वाले लेखापरीक्षा की प्रकृति और सीमा शामिल थी। मूल लेखापरीक्षा में क्षेत्र संरचनाओं में संधारित किए गए संक्रमणकालीन क्रेडिट से संबंधित अभिलेखों की जाँच, संक्रमणकालीन क्रेडिट के संबंध में अंतर-क्षेत्राधिकारिता कार्यों के कार्यान्वयन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया, विभाग द्वारा अपनाई गई संक्रमणकालीन विवरणियों का सत्यापन प्रक्रिया और पाये गए विचलन पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई शामिल है। इसमें अनुपालन आश्वासन के लिए चयनित

¹ वह तिथि जब से इस अधिनियम के प्रावधान प्रवृत्त हुए

संक्रमणकालीन क्रेडिट दावों की एक स्वतंत्र जाँच भी शामिल थी। संक्रमणकालीन विवरणियों का सत्यापन आयुक्त और वृत्त/क्षेत्राधिकार कार्यालयों में किया गया।

4.1.7 लेखापरीक्षा मानदंड

मानदंड, जिसके विरुद्ध लेखापरीक्षा उद्देश्यों और उप-उद्देश्यों को सत्यापित किया जाना है, में सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 117 के साथ सहपठित सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 के प्रावधान तथा समय-समय पर विभाग और राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना/परिपत्र सम्मिलित हैं।

4.1.8 लेखापरीक्षा नमूना

अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए राज्य के 21 वृत्त के 2,826 संक्रमणकालीन प्रकरणों में से कुल 365 संक्रमणकालीन नमूना प्रकरणों का चयन किया गया था। अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए चयनित संक्रमणकालीन प्रकरणों का वृत्तवार विवरण तालिका 4.1.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.1.1: सत्यापन के लिए चयनित संक्रमणकालीन प्रकरणों की संख्या

स.क्र.	वृत्त का नाम	वृत्त में कुल संक्रमणकालीन प्रकरणों की संख्या	सत्यापन के लिए चयनित संक्रमणकालीन प्रकरणों की संख्या
1	अम्बिकापुर	62	9
2	बिलासपुर-1 से 3	354	45
3	धमतरी	77	9
4	दुर्ग-1 से 4	720	99
5	रायगढ़-1 और 2	213	19
6	रायपुर-1 से 9	1239	167
7	राजनांदगांव	161	17
कुल योग		2826	365

4.1.9 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को, लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के आधार पर प्रणालीगत और अनुपालन मुद्दों के रूप में दो व्यापक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। प्रणालीगत मुद्दे परिकल्पित सत्यापन तंत्र की पर्याप्तता और प्रभावशीलता को इंगित करते हैं जबकि अनुपालन मुद्दे अधिनियम/नियमों के प्रावधानों से विचलन को दर्शाते हैं।

4.1.9.1 प्रणालीगत मुद्दे

प्रणालीगत मुद्दों में दोहरे नियंत्रण के लिए लागू प्रावधानों, विभाग द्वारा परिकल्पित सत्यापन तंत्र के संदर्भ में लक्ष्यों के विरुद्ध कवरेज की व्यापकता, सत्यापन तंत्र में नीति/प्रक्रियागत अंतर और वसूली प्रक्रिया की दक्षता हेतु लागू प्रावधानों की समीक्षा शामिल है।

4.1.9.1 (i) विभाग द्वारा परिकल्पित सत्यापन तंत्र

विरासतीय और जीएसटी दोनों कानूनों के तहत निर्धारित वैधानिक आवश्यकताओं के अलावा, विभाग ने वर्ष 2018-19 के लिए संक्रमणकालीन क्रेडिट सत्यापन को प्रमुख लक्षित क्षेत्र (फोकस एरिया) के रूप में विनिर्दिष्ट किया था। संक्रमणकालीन क्रेडिट डेटा

की जाँच में पाया गया कि 3,335 करदाताओं ने एसजीएसटी के रूप में राशि ₹ 285.13 करोड़ के संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा किया था। विभाग ने 3,335 प्रकरणों में से, सत्यापन हेतु अंतिम विरासतीय विवरणी (2017–18 की पहली तिमाही विवरणी) के साथ आईटीसी के असंगत आंकड़ों के आधार पर सभी वृत्तों में केवल 222 (6.66 प्रतिशत) प्रकरणों की पहचान की थी। विभाग द्वारा सत्यापन हेतु चयनित प्रकरणों का विवरण तालिका 4.1.2 में दिया गया है।

तालिका 4.1.2 विभाग द्वारा सत्यापन के लिए चयनित किये गये संक्रमणकालीन क्रेडिट प्रकरणों की संख्या

करदाताओं द्वारा संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा	द्रान—1 प्रकरणों की कुल संख्या	इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में संक्रमणकालीन क्रेडिट (₹ करोड़ में)	विभाग द्वारा सत्यापन के लिए चयनित प्रकरणों की संख्या	विरासती विवरणी के साथ असंगत संक्रमणकालीन क्रेडिट (₹ करोड़ में)
₹ 10 लाख से ऊपर	405	236.11	18	29.91
₹ एक से ₹ 10 लाख के बीच	2,926	49.11	204	2.68
शून्य दावा	3,117	(-) 0.09	0	0
कुल	6,448	285.13	222	32.59

(स्रोत: वाणिज्यिक कर-जीएसटी विभाग द्वारा दी गई सूचना)

उपायुक्त, राज्य कर (जीएसटीएन), छत्तीसगढ़, रायपुर ने 22 जुलाई 2019 को कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़, रायपुर के उप महालेखाकार (आरएस) को सूचित किया कि उन प्रकरणों की जाँच, जहाँ संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा 2017–18 की पहली विवरण में उपलब्ध क्रेडिट से अधिक था और अंतर ₹ 10 लाख से अधिक था, मुख्यालय स्तर पर किया जाना था। इसके अलावा, आयुक्त (राज्य कर) द्वारा जारी निर्देशों (जुलाई 2018) के अनुसार, जहाँ संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा 2017–18 की पहली विवरण में उपलब्ध क्रेडिट से अधिक था और अंतर ₹ 10 लाख से कम था, की जाँच वृत्त स्तर पर की जानी थी। इसके अलावा, आयुक्त (राज्य कर) ने वृत्तों को निर्देशित किया था कि उन संक्रमणकालीन क्रेडिट की वसूली करें जहाँ यह अधिक पाया गया था और इसकी सूचना दें।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सहायक आयुक्त (राज्य कर) ने लेखापरीक्षित 21 वृत्तों में पहचाने गए 189 प्रकरणों (₹ 10 लाख से कम अंतर वाले) में से 165 संक्रमणकालीन क्रेडिट प्रकरणों का सत्यापन किया। लेखापरीक्षा को 24 प्रकरणों की जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी तथा शेष 165 संक्रमणकालीन क्रेडिट प्रकरणों में से 31 प्रकरणों में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी तथा ये प्रकरण विभाग द्वारा नस्तीबद्ध कर दिये गये। 134 प्रकरणों में, ₹ 6.89 करोड़ मूल्य के संक्रमणकालीन क्रेडिट के अधिक दावों का पता लगाया गया था, जिनमें से 62 प्रकरणों से ₹ 1.18 करोड़ (ब्याज और शास्ति सहित) की वसूली की गई थी। शेष 72 प्रकरणों में करदाताओं को मांग पत्र जारी किए गए थे। हालांकि, दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी, करदाताओं से ₹ 5.71 करोड़ की शेष राशि की वसूली हेतु कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

इसके अलावा, संक्रमणकालीन क्रेडिट, कर प्रशासन का लक्षित क्षेत्र होने के बावजूद लेखापरीक्षित 21 वृत्तों में 13 प्रतिशत दावों (24 प्रकरणों) का सत्यापन किया जाना शेष है।

लेखापरीक्षा ने विभाग द्वारा नस्तीबद्ध किए गए 31 प्रकरणों की जाँच की और दो प्रकरणों में अनियमितताएं पाईं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

- क) वृत्त-4, रायपुर में लेखापरीक्षा में पाया गया कि एक करदाता मैसर्स शिवम इंडस्ट्रीज (जीएसटीआईएन: 22BBJPJ9167J1ZB) ने द्रान-1 में ₹ 2.78 लाख आईटीसी के रूप में दावा किया और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अग्रेनित किया। आगे, डीलर ने संशोधित द्रान-1 दाखिल किया और आईटीसी के रूप में ₹ 1.43 लाख का दावा किया लेकिन उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट किए गए अतिरिक्त आईटीसी को कम/वापस नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.35 लाख का अतिरिक्त आईटीसी क्रेडिट हुआ जिसे ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिए।
- ख) लेखापरीक्षा ने वृत्त-1, रायगढ़ में पाया कि एक करदाता मैसर्स राजेश सेल्स (जीएसटीआईएन: 22CRKPP4428C1ZZ) ने द्रान-1 दाखिल करके अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ₹ 1.99 लाख आईटीसी जमा किया। करदाता ने आगे संशोधित द्रान-1 दाखिल किया और ₹ 0.44 लाख के लिए आईटीसी का दावा किया और ₹ 1.55 लाख के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट की गई अतिरिक्त राशि को वापस (डेबिट) कर दिया। हांलांकि, डीलर ने अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में तीन महीने के लिए बनाए गए अतिरिक्त आईटीसी पर ब्याज का भुगतान नहीं किया, जिसका उपयोग भी उसके द्वारा किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 9,323 के ब्याज का भुगतान नहीं हुआ।

इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर दिया (जनवरी 2023) कि 5,351 प्रकरणों का सत्यापन प्रारंभ कर दिया गया है। कुल 5,351 प्रकरणों में से, 3,726 प्रकरणों (70 प्रतिशत) का सत्यापन किया जा चुका है और 1,625 प्रकरण जाँच के अधीन हैं।

प्रकरण शासन (दिसम्बर 2021) को प्रतिवेदित किया गया। उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2022)।

4.1.9.2 अनुपालन मुद्दे

अनुपालन मुद्दे जीएसटी व्यवस्था में करदाताओं द्वारा अग्रेनित किए गए संक्रमणकालीन क्रेडिट की वैधता और स्वीकार्यता से संबंधित हैं। करदाताओं को द्रान-1 एवं द्रान-2 की विभिन्न निर्दिष्ट तालिकाओं, जैसा लागू हो, में संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा किया जाना आवश्यक था। व्यापक तौर पर, ये तालिकाएं विरासतीय विवरणी से अग्रेनित वैट क्रेडिट, पूंजीगत वस्तुओं से संबंधित अप्रयुक्त वैट क्रेडिट, स्टाक में रखे इनपुट/अर्ध-तैयार माल/तैयार माल के संबंध में वैट/प्रवेश कर क्रेडिट तथा पारगमन में इनपुट या इनपुट सेवाओं की वैट क्रेडिट के संबंध में क्रेडिट प्रदान करती हैं। लेखापरीक्षा हेतु चयनित नमूनों में इन तालिकाओं में से प्रत्येक के तहत दावे शामिल थे ताकि समग्र अनुपालन आश्वासन के लिए तालिकावार लागू प्रावधानों की पर्याप्तता की जाँच की जा सके।

लेखापरीक्षा ने व्यापक तौर पर सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धाराओं 140(1), 140(3) के साथ-साथ धारा 50(3) के तहत विभिन्न श्रेणियों के करदाताओं के संक्रमणकालीन क्रेडिट दावों में विभिन्न कमियों का खुलासा किया। अनुपालन से विचलन की प्रकृति की ये कमियां विरासतीय विवरणी से क्रेडिट के अंत-शेष के संक्रमण, समर्थन दस्तावेजों के साथ या उसके बिना वैट भुगतान किए गए स्टॉक पर क्रेडिट, अनियमित संक्रमणकालीन क्रेडिट पर ब्याज का भुगतान नहीं किये जाने और बाद में वापस लेने तथा अभिलेखों को प्रस्तुत न करने में देखी गयी।

लेखापरीक्षा ने 21² लेखापरीक्षित वृत्तों के 365 प्रकरणों में से 175 प्रकरणों में राशि ₹ 26.33 करोड़ के अनुपालन विचलन देखे, जिसमें त्रुटि दर 48 प्रतिशत थी। ये अनुपालन विचलन आगामी कंडिकाओं में वर्णित हैं।

4.1.9.2 (i) वैट विवरणी दाखिल किए बिना संक्रमणकालीन क्रेडिट का अनियमित लाभ

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 (1) के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति को, अधिनियम की धारा 10 के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति के अलावा, वैट यदि कोई हो, जैसा कि विद्यमान कानून के तहत उसके द्वारा अंतिम विवरणी में दर्शाये क्रेडिट को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अग्रेनित किया गया हो, का क्रेडिट लेने की अनुमति है, यदि,

- (i) नए कानून के तहत क्रेडिट अन्यथा स्वीकार्य है;
- (ii) विद्यमान कानून के तहत पिछले ४ माहों की विवरणी दाखिल की गई है;
- (iii) क्रेडिट छूट प्राप्त विनिर्मित वस्तुओं के क्रेडिट से संबंधित नहीं है; तथा
- (iv) क्रेडिट उस माल से संबंधित नहीं है जिसके संबंध में ऐसे पंजीकृत व्यक्ति को कोई सहायता या प्रोत्साहन देय है। उपरोक्त वैट संक्रमणकालीन क्रेडिट को ट्रान-1 विवरणी दाखिल करके पंजीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में स्थानांतरित किया जाना है।

आगे, धारा 50(3) निर्धारित करती है कि एक कर योग्य व्यक्ति जो धारा 42 की उप-धारा (10) के तहत इनपुट कर क्रेडिट का अनुचित या अधिक दावा करता है या धारा 43 की उप-धारा (10) के तहत आउटपुटकर दायित्व में अनुचित या अधिक कमी करता है, इस तरह के अनुचित या अधिक दावे पर या ऐसे अदेय या अधिक कमी पर, जैसी भी स्थिति हो, ऐसी दर पर ब्याज का भुगतान करना होगा जो 24 प्रतिशत से अधिक न हो।

लेखापरीक्षित 21 वृत्तों के 2,826 संक्रमणकालीन प्रकरणों में से 365 संक्रमणकालीन क्रेडिट प्रकरणों की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि 14 वृत्तों³ के 36 करदाताओं ने अपने पिछले ४ माह के विवरणी जमा नहीं किये या ट्रान-1 दाखिल करने के बाद विवरणी जमा किए परन्तु ट्रान-1 दाखिल करके अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ₹ 7.92 करोड़ का संक्रमणकालीन क्रेडिट (आईटीसी) दावा/प्राप्त किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.92 करोड़ के संक्रमणकालीन क्रेडिट का अनियमित लाभ लिया गया, जैसा कि परिशिष्ट 4.1.1 में वर्णित है, जिसे ब्याज सहित वसूल किया जा सकता है।

इंगित किये जाने पर शासन ने बताया (जून 2022) कि अब तक दो प्रकरणों में ₹ 6.86 लाख की वसूली की जा चुकी है, 20 प्रकरणों में ₹ 10.56 करोड़ की मांग की जा चुकी है तथा शेष 14 प्रकरणों में कार्यवाही की जा रही है।

एक निर्दर्शी प्रकरण नीचे दिया गया है:

वृत्त-9, रायपुर में संक्रमणकालीन क्रेडिट प्रकरणों की नमूना जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि एक डीलर मैसर्स रुकमणी इलेक्ट्रिकल एंड कॉर्पोरेशन प्रा. लिमिटेड (जीएसटीआईएन: 22AABCR6640R1Z1) ने ₹ 2.62 करोड़ के संक्रमणकालीन क्रेडिट को ट्रान-1 दाखिल करके अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को अग्रेनित किया। विवरणी की आगे की जाँच में पता चला कि डीलर ने 2017-18 की पहली तिमाही के लिए

² वृत्त— अम्बिकापुर, बिलासपुर 1 से 3, धमतरी, दुर्ग 1 से 4, रायगढ़ 1 से 2, रायपुर 1 से 9 और राजनांदगांव

³ वृत्त— रायपुर 2 से 5,7,8 एवं 9, वृत्त दुर्ग 2 एवं 3, , वृत्त बिलासपुर 1 से 3, अम्बिकापुर, धमतरी, और राजनांदगांव

तिमाही विवरणी दाखिल नहीं किया था। इसलिए, उपरोक्त प्रावधान के अनुसार करदाता संक्रमणकालीन क्रेडिट प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.62 करोड़ के संक्रमणकालीन क्रेडिट की अनियमित लाभ लिया जिसे ब्याज सहित वापस/वसूली किया जा सकता है।

4.1.9.2 (ii) वैट संक्रमणकालीन क्रेडिट का अधिक अग्रेनित किया जाना

लेखापरीक्षा ने 21 वृत्तों के 2,826 संक्रमणकालीन प्रकरणों में से 365 संक्रमणकालीन क्रेडिट प्रकरणों की जाँच के दौरान पाया कि 21 वृत्तों⁴ में 47 करदाताओं ने ट्रान-1 दाखिल करके अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ₹ 7.03 करोड़ अधिक संक्रमणकालीन क्रेडिट प्राप्त किया। करदाताओं ने अपने पिछले वैट विवरणी में उपलब्ध क्रेडिट से अधिक संक्रमणकालीन क्रेडिट को अग्रेनित किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.03 करोड़ के संक्रमणकालीन क्रेडिट को अनियमित रूप से अग्रेनित किया गया, जैसा कि परिशिष्ट 4.1.2 में वर्णित है, जिसे ब्याज सहित वसूल किया जा सकता है।

इसे इंगित किये जाने पर शासन ने बताया (जून 2022) कि अब तक सात प्रकरणों में ₹ 43.43 लाख की वसूली की जा चुकी है, 15 प्रकरणों में ₹ 3.92 करोड़ की माँग की गई है तथा शेष 25 प्रकरणों में कार्यवाही की जा रही है।

एक निर्दर्शी प्रकरण नीचे दिया गया है:

वृत्त-9, रायपुर में संक्रमणकालीन क्रेडिट प्रकरणों की नमूना जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि एक करदाता मेसर्स बीपीएल मैडिकल इकिवपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (जीएसटीआईएन: 22AAFCB3158EZ5) ने ट्रान-1 दाखिल करके अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अतिरिक्त राशि को अग्रेनित किया। करदाता के पिछले विवरणी (2017–18 की पहली तिमाही) में अंतिम शेष 'निरंक' था जबकि संक्रमणकालीन क्रेडिट ₹ 0.21 करोड़ अग्रेनित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.21 करोड़ अधिक क्रेडिट अग्रेनित किया गया जिसे ब्याज सहित वापस/वसूली किया जा सकता है।

4.1.9.2 (iii) लंबित फॉर्म-सी पर अंतर कर के भुगतान किये बिना ट्रान-1 की तालिका 5(ग) के तहत संक्रमणकालीन क्रेडिट का अधिक दावा किया जाना

छठीसगढ़ जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 (1) के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति को, उक्त अधिनियम की धारा 10 के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति के अलावा, वैट का क्रेडिट, यदि कोई हो, जिसे उसके द्वारा विद्यमान कानून के तहत इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में प्रस्तुत उनकी अंतिम विवरणी में अग्रेनित किया गया हो, लेने की अनुमति है। इसके अलावा, यदि किसी राज्य वैट के तहत एक पंजीकृत करदाता का कोई फॉर्म-सी/फॉर्म-एफ/फॉर्म-एच या आई बकाया हो तो उसे अंतर कर का भुगतान करना होगा क्योंकि वह रियायती केन्द्रीय विक्रय कर दर का दावा करने के लिए पात्र नहीं है। इस तरह के देय अंतर कर को उसके द्वारा दाखिल अंतिम विवरणी में उपलब्ध आईटीसी शेष से घटाया जाएगा और शेष क्रेडिट को संक्रमणकालीन क्रेडिट के रूप में जीएसटी व्यवस्था के तहत अग्रेनित किया जाएगा।

इसके अलावा, धारा 50(3) निर्धारित करती है कि एक कर योग्य व्यक्ति जो धारा 42 की उप-धारा (10) के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनुचित या अधिक दावा करता है या धारा 43 की उप-धारा (10) के तहत आउटपुट कर दायित्व में अनुचित या अधिक

⁴ वृत्त—अभिकापुर, वृत्त बिलासपुर 1 से 3, वृत्त धमतरी, वृत्त दुर्ग 1 से 4, वृत्त रायगढ़ 1 से 2, वृत्त रायपुर 1 से 9 और वृत्त राजनांदगांव

कमी करता है, इस तरह के अनुचित या अधिक दावे पर या ऐसी अनुचित या अधिक कमी पर, जैसा भी मामला हो, ऐसी दर पर ब्याज का भुगतान करना होगा जो 24 प्रतिशत से अधिक न हो।

आगे, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 प्रपत्र 'सी' में घोषणा के विरुद्ध की गई वस्तुओं की अंतर्राज्यीय विक्रय पर जून 2008 से दो प्रतिशत की दर से कर लगाने का प्रावधान करता है। फॉर्म-सी के अभाव में, करदाता उस वस्तु के लिए सीजी वैट अधिनियम में निर्धारित दरों पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

लेखापरीक्षा ने 21 वृत्तों के 2,826 प्रकरणों में से 365 प्रकरणों के अभिलेखों की नमूना जाँच किया और पाया कि चार वृत्तों⁵ में 31 करदाताओं ने 2016–17 (चौथी तिमाही) और 2017–18 (पहली तिमाही) की अवधि के दौरान ₹ 269.05 करोड़ की अंतर्राज्यीय विक्रय के लिए अपेक्षित फॉर्म-सी प्रस्तुत नहीं किया लेकिन दो प्रतिशत की रियायती दर पर कर का भुगतान किया। फॉर्म-सी के अभाव में करदाता ₹ 8.10 करोड़ के अंतर कर का भुगतान करने या अंतिम वैट विवरणी में उपलब्ध आईटीसी से इसे समायोजित करने और शेष आईटीसी को जीएसटी व्यवस्था में आगे ले जाने के लिए उत्तरदायी हैं। तथापि, यह देखा गया कि करदाताओं ने न तो अंतर कर का भुगतान किया और न ही उनके पिछले विवरणी में उपलब्ध आईटीसी से कर को समायोजित किया अपितु ट्रान-1 दाखिल करके आईटीसी को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अग्रेनित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.63 करोड़ के अधिक संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा किया गया, जैसा कि परिशिष्ट 4.1.3 में वर्णित है, जिसे ब्याज सहित वसूल किया जा सकता है।

इसे इंगित किये जाने पर शासन ने बताया (जून 2022) कि एक प्रकरण में अब तक ₹ 0.82 लाख की वसूली की जा चुकी है, 21 प्रकरणों में वर्ष 2016–17 का निर्धारण कर कार्यवाही की जा चुकी है एवं वर्ष 2017–18 के प्रकरणों का सहायक आयुक्त को प्राथमिकता के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए आवंटित किया गया और नौ प्रकरणों में करदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं।

एक निर्दर्शी प्रकरण नीचे दिया गया है:

वृत्त-3, दुर्ग में संक्रमणकालीन क्रेडिट प्रकरणों की नमूना जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि एक करदाता मेसर्स शिवम हाई-टेक स्टील्स प्रा. लिमिटेड (जीएसटीआइएन: 22AAJCS7718R1ZN) ने 2016–17 (चौथी तिमाही) और 2017–18 (पहली तिमाही) के दौरान की गई अंतर्राज्यीय विक्रय के लिए ₹ 41.44 करोड़ के फॉर्म-सी जमा नहीं किए थे, हालांकि, दो प्रतिशत की रियायती दर पर कर का भुगतान किया। फॉर्म-सी के अभाव में, करदाता ₹ 1.24 करोड़ के अंतर कर का भुगतान करने अथवा अपने पिछले विवरणी में उपलब्ध आईटीसी से कर को समायोजित करने के लिए उत्तरदायी था। लेकिन, यह देखा गया कि करदाता ने न तो अंतर कर का भुगतान किया और न ही उपलब्ध आईटीसी से कर को समायोजित किया लेकिन ट्रान-1 दाखिल करके अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी को अग्रेनित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.24 करोड़ के संक्रमणकालीन क्रेडिट को अनियमित रूप से प्राप्त किया गया, जिसे ब्याज सहित वसूल किया जा सकता है।

4.1.9.2 (iv) स्टॉक में रखे इनपुट पर संक्रमणकालीन क्रेडिट का अनियमित लाभ

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 (3) के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति, जो विद्यमान कानून के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी नहीं था, अथवा जो छूट

⁵ वृत्त रायपुर-8, वृत्त दुर्ग-2, 3 एवं 4

प्राप्त वस्तुओं या कर मुक्त वस्तुओं जो किसी भी नाम से जानी जाती हों, अथवा ऐसी वस्तुओं जिन पर राज्य में उनके विक्रय के प्रथम बिन्दु पर कर लगाया गया है और बाद का विक्रय विद्यमान कानून के तहत राज्य में कर के अधीन नहीं हैं लेकिन जो इस अधिनियम के तहत कर के लिए उत्तरदायी हैं, के विक्रय में संलग्न था अथवा जहाँ व्यक्ति माल के विक्रय के समय इनपुट कर क्रेडिट का हकदार था, यदि कोई हो, अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, स्टॉक में रखे गए इनपुट और नियत दिन पर स्टॉक में रखे गये अर्ध—तैयार या तैयार माल में सन्निहित इनपुट के संबंध में निम्नलिखित शर्तों के अधीन वैट का क्रेडिट लेने का हकदार होगा यथा:

- (i) ऐसे इनपुट या वस्तुएं जो इस अधिनियम के तहत कर योग्य आपूर्ति करने के लिए उपयोग किए जाते हैं अथवा उपयोग किए जाने हेतु उद्दिष्ट हैं;
- (ii) इस अधिनियम के तहत उक्त पंजीकृत व्यक्ति ऐसे इनपुट पर इनपुट कर क्रेडिट के लिए पात्र हैं;
- (iii) उक्त पंजीकृत व्यक्ति के पास ऐसे इनपुट के संबंध में विद्यमान कानून के तहत कर के भुगतान के साक्ष्य के रूप में बीजक या अन्य निर्धारित दस्तावेज हैं; तथा
- (iv) ऐसे बीजक या अन्य निर्धारित दस्तावेज नियत दिन से ठीक पहले के बारह महीने से पहले जारी नहीं किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने संविक्षा के दौरान 21 वृत्तों के 2,826 प्रकरणों में से 365 प्रकरणों में देखा कि नौ वृत्तों⁶ के 16 करदाताओं ने ट्रान-1 विवरणी में तालिका 7(ग) के तहत ₹ 1.59 करोड़ के संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा किया। ट्रान-1 विवरणी की तालिका 7 (ग) के तहत स्टॉक में रखे वैट भुगतान किए गए वस्तुओं के संबंध में संक्रमणकालीन क्रेडिट प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि पंजीकृत व्यक्ति के पास ऐसे इनपुट के संबंध में विद्यमान कानून के तहत वैट के भुगतान के साक्ष्य वाले बीजक या अन्य निर्धारित दस्तावेज थे। हालांकि, संक्रमणकालीन क्रेडिट दावे की जाँच के लिए लेखापरीक्षा को ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये, जिसके अभाव में ऐसे क्रेडिट की प्रामाणिकता का पता नहीं लगाया जा सका। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.59 करोड़ के संक्रमणकालीन क्रेडिट का संभावित अनियमित लाभ लिया गया, जैसा कि परिशिष्ट 4.1.4 में वर्णित है।

लेखापरीक्षा द्वारा झंगित (दिसम्बर 2021) किये जाने पर शासन ने उत्तर दिया (जून 2022) कि 12 प्रकरणों में ₹ 2.25 करोड़ की माँग की गयी है तथा शेष चार प्रकरणों में कार्यवाही की जा रही है।

एक निदर्शी प्रकरण नीचे दिया गया है:

वृत-4, दुर्ग में संक्रमणकालीन क्रेडिट प्रकरणों की नमूना जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि एक करदाता मैसर्स सुरजीत एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज (जीएसटीआईएन: 22ABMPH0624A1Z1) ने तालिका 7(ग) के अंतर्गत ₹ 0.23 करोड़ के संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा किया। हालांकि, संक्रमणकालीन क्रेडिट दावे की जाँच के लिए लेखापरीक्षा को ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके अभाव में ऐसे क्रेडिट की प्रामाणिकता का पता नहीं लगाया जा सका। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.23 करोड़ के क्रेडिट का संभावित अनियमित लाभ लिया गया।

⁶ वृत— बिलासपुर 1 और 3, वृत दुर्ग 2 और 4 और वृत रायपुर 3, 4 एवं 7

4.1.9.2 (v) दावा किए गए अधिक संक्रमणकालीन क्रेडिट को वापस करने पर ब्याज का भुगतान न करना

छत्तीसगढ़ जीएसटी नियम, 2017 के नियम 121 के अनुसार, नियम 117 के उप-नियम (3) के तहत क्रेडिट की गई राशि की वसूली सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 73 या धारा 74, जैसा भी मामला हो, के तहत प्रारंभ की जा सकती है। धारा 73 या 74 के तहत कार्यवाही में करदाता को क्रेडिट के साथ सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50(3) के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर देय ब्याज का भी भुगतान करने की आवश्यकता होगी।

आगे, अधिसूचना क्र. एफ-10/44/2017/सीटी/वी(87) दिनांक 29 जून 2017 के अनुसार धारा 50 की उप-धारा (3) के तहत ब्याज की दर 24 प्रतिशत है।

लेखापरीक्षा ने 21 वृत्तों के 2,826 प्रकरणों में से 365 प्रकरणों के अभिलेखों की नमूना जाँच की और पाया कि तीन वृत्तों⁷ में तीन करदाताओं ने अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में संक्रमणकालीन क्रेडिट की अधिक राशि क्रेडिट की और बाद में अधिक क्रेडिट को वापस (डेबिट) कर दिया। हालांकि, करदाताओं ने ₹ 8.52 लाख के अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट की गई अधिक राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया, जिसके कारण ₹ 67,547 के ब्याज का भुगतान नहीं हुआ, जैसा कि परिशिष्ट 4.1.5 में वर्णित है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित (दिसम्बर 2021) किये जाने पर शासन ने उत्तर दिया (जून 2022) कि दो प्रकरणों में ₹ 0.76 लाख की माँग की गयी है तथा एक प्रकरण में करदाता को नोटिस जारी किया गया है।

4.1.9.2 (vi) ट्रान-2 दाखिल करके बिना बीजक के स्टॉक के संक्रमणकालीन क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति

सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 117(4) (बी) (iii) में निर्दिष्ट है कि जिन पंजीकृत व्यक्तियों के पास बीजक या इनपुट के संबंध में कर के भुगतान का साक्ष्य देने वाला कोई अन्य अभिलेख नहीं है, उन्हें प्रारंभ में प्रपत्र जीएसटी ट्रान-1 के तालिका 7(घ) के तहत ऐसे स्टॉक का विवरण जमा करना होगा तथा उसके बाद नियत तिथि से छः करावधि के भीतर इन वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावी होने पर, प्रत्येक कर अवधि में आपूर्ति की गई वस्तुओं का विवरण दिखाते हुए प्रपत्र जीएसटी ट्रान-2 में विवरणी दाखिल करना होगा।

इकीस वृत्तों के 2,826 प्रकरणों में से 365 प्रकरणों की सर्वीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन वृत्तों⁸ के तीन करदाताओं ने ट्रान-2 फाइल करके ₹ 0.16 करोड़ के संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा किया। हालांकि, यह देखा गया कि करदाताओं ने ट्रान-1 की तालिका 7(घ) में स्टॉक में रखे अपने वस्तुएं की घोषणा नहीं की, लेकिन ट्रान-2 के माध्यम से दावा किया और आईटीसी का लाभ उठाया, जो उपरोक्त नियम के प्रावधान के विरुद्ध है। इसके परिणामस्वरूप परिशिष्ट 4.1.6 में वर्णित ₹ 0.16 करोड़ के संक्रमणकालीन क्रेडिट की अनियमित लाभ लिया गया जिसे ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित (दिसम्बर 2021) किये जाने पर शासन ने उत्तर दिया (जून 2022) कि एक प्रकरण में ₹ 9.14 लाख की माँग जारी की जा चुकी है तथा शेष दो प्रकरणों में नोटिस जारी कर दिये गये हैं।

⁷ वृत्त— रायपुर 2 और वृत्त बिलासपुर 2 एवं 3

⁸ वृत्त— दुर्ग-1, धमतरी, और राजनांदगांव

एक निदर्शी प्रकरण नीचे दिया गया है:

धमतरी वृत्त के अभिलेखों की जाँच के दौरान यह पाया गया कि एक करदाता मैसर्स दिनेश मेडिकल स्टोर्स (जीएसटीआईएन: 22AFPPK7470Q1ZP) ने ट्रान-2 दाखिल करके ₹ 0.08 करोड़ के वैट संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा किया था। हालांकि, यह देखा गया कि करदाता ने ट्रान-1 विवरणी के तालिका 7(घ) में स्टॉक में रखे माल की घोषणा नहीं की लेकिन केवल ट्रान-2 विवरणी के माध्यम से दावा किया और ₹ 0.08 करोड़ आईटीसी का लाभ उठाया, जो नियमों के प्रावधानों के विरुद्ध है और ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिए।

4.1.9.2 (vii) संविक्षा के लिए लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत न करना

लेखापरीक्षा ने 21 वृत्तों के 2,826 प्रकरणों में से 365 प्रकरणों के अभिलेखों की नमूना जाँच किया और पाया कि 14 वृत्तों⁹ ने 39 करदाताओं द्वारा ट्रान-1 के तालिका संख्या 6(ख), 7(ख), 7(ग), 7(घ), 10(क) और 11(ग) के तहत दावा किये गए ₹ 3.99 करोड़ के संक्रमणकालीन क्रेडिट के अभिलेख जैसे स्टॉक रजिस्टर, बीजक (क्रय/विक्रय), बही-खाते आदि उपलब्ध नहीं कराए। विभाग द्वारा अभिलेखों को प्रस्तुत न करने के कारण, लेखापरीक्षा करदाताओं द्वारा प्राप्त संक्रमणकालीन क्रेडिट की प्रमाणिकता का सत्यापन नहीं कर सका। विवरण परिशिष्ट 4.1.7 में दिया गया है।

इसे इंगित किये जाने पर शासन ने बताया (जून 2022) कि अब तक दो प्रकरणों में ₹ 14.70 लाख की वसूली की जा चुकी है, 21 प्रकरणों में ₹ 4.62 करोड़ की मांग की जा चुकी है तथा शेष 16 प्रकरणों में कार्यवाही की जा रही है।

4.1.10 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग ने वैट विवरण के साथ सभी संक्रमणकालीन क्रेडिट प्रकरणों का प्रतिसत्यापन नहीं किया था, जबकि यह अनियमितताओं को सुधारने के लिए एक बार किए जाने वाली महत्वपूर्ण कार्रवाई थी। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि यद्यपि विभाग ने 222 संक्रमणकालीन प्रकरणों का सत्यापन किया था, परंतु जहाँ अनियमितताएं पायी गयी थीं वहाँ राजस्व की वसूली के लिये कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गयी थी।

4.1.11 अनुशंसाएँ

1. विभाग वास्तविक इनपुट कर क्रेडिट की मात्रा निर्धारित करने के लिए सभी लंबित संक्रमणकालीन क्रेडिट प्रकरणों को सत्यापित कर सकता है।
2. विभाग द्वारा जिन प्रकरणों में अनियमितताओं का पता लगाया गया है, उन प्रकरणों में विभाग राजस्व की वसूली के लिए उचित कार्रवाई कर सकता है।

⁹ वृत्त— बिलासपुर 1 एवं 3, दुर्ग 2, 3 एवं 4 और रायपुर 1 से 9

4.2 वस्तु एवं सेवा कर के प्रतिदाय पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

4.2.1 परिचय

कर प्रशासन में समयोचित कर—वापसी (प्रतिदाय) तंत्र आवश्यक है, क्योंकि यह अवरुद्ध निधियों को कार्यशील पूँजी तथा मौजूदा व्यवसाय के विस्तार और आधुनिकीकरण हेतु जारी कर व्यापार को सुगम करता है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम, 2017 प्रतिदाय प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और मानकीकृत करने के लिये एक तंत्र प्रदान करता है।

प्रत्येक दावे को एक मानकीकृत रूप में ऑनलाइन दाखिल करना होता है। हालांकि, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्रतिदाय प्रणाली की अनुपलब्धता के कारण, आवेदकों को जीएसटी अधिनियम के फार्म जीएसटी-आरएफडी-1ए में प्रतिदाय के लिये आवेदन दाखिल कर इसका प्रिंट आउट लेकर समस्त सहायक दस्तावेजों के साथ अधिकार क्षेत्र के कार्यालय में भौतिक रूप से जमा करने की आवश्यकता थी। उन सभी प्रतिदाय आवेदनों का प्रसंस्करण मैनुअल रूप से किया गया था। समस्त सहायक दस्तावेज के साथ फॉर्म जीएसटी आरएफडी-1ए में प्रतिदाय आवेदन इलेक्ट्रॉनिक¹⁰ रूप से जमा किए जाने थे। हालांकि आवेदनों के प्रस्तुत करने के पश्चात् भी प्रतिदाय आवेदनों के प्रसंस्करण की प्रक्रिया मैनुअल रूप से जारी रहा। प्रतिदाय प्रक्रिया दिनांक 26 सितंबर 2019 से पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक हो गई, जिसमें आवेदन जमा करने से प्रसंस्करण तक सभी कार्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से किये गये।

4.2.2 कर प्रशासन

राज्य कर विभाग के अंतर्गत पाँच संभाग और 30 वृत्त हैं। राज्य कर विभाग को शासन स्तर पर प्रमुख सचिव द्वारा प्रशासित किया जाता है। राज्य कर आयुक्त विभाग का प्रमुख होता है और उनकी सहायता के लिये एक विशेष आयुक्त, तीन अतिरिक्त आयुक्त, 12 संयुक्त आयुक्त, 26 उपायुक्त, 72 सहायक आयुक्त, 121 राज्य कर अधिकारी, 174 राज्य कर निरीक्षक होते हैं जो छत्तीसगढ़ जीएसटी अधिनियम 2017 के अंतर्गत सौंपे गये समस्त कार्यों का निष्पादन करते हैं। उपरोक्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध 10 संयुक्त आयुक्त, 20 उपायुक्त, 54 सहायक आयुक्त, 71 राज्य कर अधिकारी एवं 115 राज्य कर निरीक्षक वर्तमान में विभाग में अक्टूबर 2021 तक कार्यरत हैं।

4.2.3 वैधानिक प्रावधान

प्रतिदाय से संबंधित प्रावधान छत्तीसगढ़/केन्द्रीय जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 54 से 58 और आईजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 15 और 16 में निहित है। प्रतिदाय के लिये दावा निम्न परिस्थितियों में उत्पन्न हो सकता है :

1. वस्तु या सेवाओं का निर्यात;
2. विशेष आर्थिक क्षेत्र ईकाइयों (एसईजेड) और विकासकर्ताओं को आपूर्ति;
3. मानद निर्यात;
4. संयुक्त राष्ट्र या दूतावासों आदि द्वारा किए गए क्रय पर करों का प्रतिदाय
5. अपीलीय प्राधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण या किसी अदालत के निर्णय, हुक्मनामा, आदेश या निर्देश के कारण उत्पन्न होने वाला प्रतिदाय;

¹⁰ परिपत्र क्र. 79 / 53 / 2018— जीएसटी, दिनांक 31 दिसम्बर 2018

6. इनवर्टर्ड ड्यूटी स्ट्रक्चर/रिवर्स चार्जस मामलों के कारण जीएसटी के संचित इनपुट कर क्रेडिट का प्रतिदाय;
7. अनंतिम आकलन को अंतिम रूप दिये जाने पर;
8. इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में शेष राशि की वापसी;
9. पूर्व जमा राशि की वापसी;
10. अधिक जीएसटी भुगतान;
11. अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों द्वारा भारत से लौटते समय अपने साथ विदेश ले जायी गई वस्तुओं पर भुगतान किये गये जीएसटी की वापसी;
12. अग्रिम जिनके विरुद्ध वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति नहीं की गई है, पर भुगतान किये गये करों की वापसी के लिये प्रतिदाय व्हाउचर जारी करने के कारण प्रतिदाय;
13. आपूर्ति को अंतर्राज्यीय आपूर्ति के रूप में मानते हुए भुगतान किये गये सीजीएसटी और एसजीएसटी की वापसी जिसे बाद में राज्यान्तरिक आपूर्ति मान लिया गया हो एवं इसके विपरीत।

4.2.4 प्रतिदाय प्रक्रिया

जीएसटी के प्रतिदाय के लिये आवेदन सक्षम अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा, जो उक्त आवेदन के प्रस्तुत होने के 15 दिनों की अवधि के भीतर आवेदन की पूर्णता की जाँच करेगा और यदि आवेदन सभी तरह से पूर्ण पाया जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से आवेदक को पावती उपलब्ध कराया जायेगा। हालांकि, जब तक जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) पोर्टल पर प्रतिदाय प्रणाली प्रारंभ नहीं हो जाती है, प्रतिदाय दावों को मैनुअल पद्धति से दाखिल करने की सुविधा प्रदान की गई है। सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिदाय दावे की जाँच कर दावा की गई राशि का प्रथम दृष्ट्या सही होना सुनिश्चित होने के पश्चात् आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर उचित सत्यापन और दावे की जाँच के पश्चात् अंतिम वापसी को मंजूरी देने का आदेश जारी करना होगा। ऐसा न करने पर प्रतिदाय के भुगतान की 60 दिनों की समाप्ति पर प्रतिदाय के साथ छः प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा।

4.2.5 प्रतिदाय की प्रवृत्तियाँ

दिनांक 31 जुलाई 2020 तक कुल ₹ 678.89 करोड़ के 3,616 प्रतिदाय दावे प्राप्त हुये (₹ 458.91 करोड़ के 2,386 प्री-ऑटोमेशन प्रकरण तथा ₹ 219.98 करोड़ के 1,230 पोस्ट-ऑटोमेशन प्रकरण)। इनमें से ₹ 609.07 करोड़ के 3,102 आवेदनों को दिनांक 31 जुलाई 2020 तक स्वीकृत तथा प्रतिदाय किया गया (₹ 405.50 करोड़ के 2,144 प्री-ऑटोमेशन प्रकरण तथा ₹ 204.02 करोड़ के 958 पोस्ट-ऑटोमेशन प्रकरण)।

माह जुलाई 2017 से माह जुलाई 2020 की अवधि के दौरान प्राप्त प्रतिदाय दावों की संख्या और स्वीकृत प्रतिदाय की राशि का विवरण तालिका 4.2.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.2.1: प्रतिदाय की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

अवधि	वर्ष	पंजीकृत कर दाताओं की संख्या	प्राप्त प्रतिदाय दावे		स्वीकृत प्रतिदाय	
			प्रकरणों की संख्या	दावों की राशि	प्रकरणों की संख्या	स्वीकृत राशि
प्री—ऑटोमेशन अवधि (दिनांक 1 जुलाई 2017 से 25 सितंबर 2019 तक)	2017–18 (जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक)	96,897	602	80.03	567	79.08
	2018–19 (अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक)	1,01327	1,224	155.59	1,096	114.45
	2019–20 (25 सितम्बर 2019 तक)	1,10,197	560	223.29	481	211.52
प्रतिदाय दावों की कुल संख्या (प्री—ऑटोमेशन अवधि)			2,386	458.91	2,144	405.05
पोस्ट—ऑटोमेशन अवधि (दिनांक 26 सितंबर 2019 से आगे)	2019–20 (दिनांक 26 सितंबर 2019 से मार्च 2020 तक)	119841	665	77.61	540	73.43
	2020–21 (जुलाई 2020 तक)	124710	565	142.37	418	130.59
प्रतिदाय दावों की कुल संख्या (पोस्ट—ऑटोमेशन अवधि)			1,230	219.98	958	204.02
कुल			3,616	678.89	3,102	609.07

4.2.6 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

जीएसटी व्यवस्था के तहत प्रतिदाय मामलों की लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिये की गई थी कि:

- प्रतिदाय प्रदान करने के संबंध में जारी अधिनियमों, नियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों आदि की पर्याप्तता;
- कर अधिकारियों द्वारा मौजूदा प्रावधानों का अनुपालन और करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये स्थापित प्रणालियों की प्रभावकारिता; एवं
- क्या प्रतिदाय आवेदनों के निपटारे में विभागीय अधिकारियों के प्रदर्शन जाँचने के लिये प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र मौजूद है।

4.2.7 मानदंड

निम्नलिखित अधिनियमों, नियमों और राज्य कर विभाग के परिपत्रों के प्रावधानों को लेखापरीक्षा मानदंडों के स्त्रोत के रूप में उपयोग किया गया था:

- छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर (सीजीजीएसटी) अधिनियम, 2017;
- केन्द्रीय जीएसटी अधिनियम, 2017;
- छत्तीसगढ़ जीएसटी नियम, 2017;
- एकीकृत जीएसटी अधिनियम, 2017; और
- केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी अधिसूचनाएं/परिपत्र/आदेश और निर्देश।

4.2.8 लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र

जीएसटीएन ने माह जुलाई 2017 से माह जुलाई 2020 तक की अवधि के लिये अखिल भारतीय प्रतिदाय डेटा प्रदान किया। दिनांक 26 सितंबर 2019 से पूर्व की अवधि अर्थात प्री—ऑटोमेशन की अवधि के लिये प्रत्येक श्रेणी के तहत प्रतिदाय को करदाताओं द्वारा

दावा की गई प्रतिदाय राशि के घटते क्रम में क्रमबद्ध किया गया था। नमूना लेने के लिये क्रमबद्ध प्रतिदाय आवेदनों को चार चतुर्थकों में विभाजित किया गया था।

दिनांक 26 सितंबर 2019 के पश्चात् दाखिल किये गये प्रतिदाय आवेदनों का चयन करने के लिये प्रतिदाय दावे की राशि (60 प्रतिशत), प्रतिदाय की स्वीकृति में विलंब (15 प्रतिशत), स्वीकृत प्रतिदाय और प्रतिदाय दावे की राशि का अनुपात (10 प्रतिशत) जैसे जोखिम मापदण्डों का उपयोग करके एक समग्र जोखिम अंक तैयार किया गया और कमियों का ज्ञापन जारी किया गया। इस प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त जोखिम अंक के आधार पर प्रतिदाय आवेदनों का चयन किया गया।

उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर राज्य के पाँच जीएसटी संभागों के अंतर्गत 30 वृत्तों में माह जुलाई 2020 तक प्रोसेस किये गये 292 प्रतिदाय प्रकरणों में से 153 प्री-ऑटोमेशन प्रतिदाय मामलों (1 जुलाई 2017 से 25 सितंबर 2019 तक प्राप्त) और 139 पोस्ट-ऑटोमेशन प्रतिदाय मामलों (26 सितंबर 2019 से 31 जुलाई 2020 तक प्राप्त) की नमूना जाँच की गई। पोस्ट-ऑटोमेशन प्रतिदाय दावों की लेखापरीक्षा ऑनलाईन की गई। जीएसटी प्रतिदाय पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के लिये चयनित प्रतिदाय प्रकरणों का वृत्तवार विवरण **तालिका 4.2.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.2.2: प्री-ऑटोमेशन और पोस्ट-ऑटोमेशन मामले

क्र. सं.	संभाग का नाम	वृत्त का नाम	प्री-ऑटोमेशन		पोस्ट ऑटोमेशन	
			चयनित मामलों की संख्या	लेखापरीक्षित मामलों की संख्या	चयनित मामलों की संख्या	लेखापरीक्षित मामलों की संख्या
1	रायपुर -1	रायपुर -1	4	4	2	2
2		रायपुर -2	4	4	2	2
3		रायपुर -3	14	14	12	12
4		रायपुर -4	1	1	0	0
5		रायपुर -5	9	9	6	6
6		महासमुंद	1	1	0	0
7	रायपुर -2	रायपुर -6	14	14	0	0
8		रायपुर -7	20	20	10	10
9		रायपुर -8	2	2	3	3
10		रायपुर -9	6	6	13	13
11		धमतरी	3	3	5	5
12		जगदलपुर-1	1	1	5	5
13		जगदलपुर-2	2	2	1	1
14		भाटापारा	7	7	0	0
15	बिलासपुर-1	बिलासपुर-1	4	4	6	6
16		बिलासपुर-2	10	10	10	10
17		अम्बिकापुर	1	1	6	6
18		मनेन्द्रगढ़	0	0	2	2
19	बिलासपुर-2	बिलासपुर-3	8	8	10	10
20		कोरबा-1	1	1	2	2
21		कोरबा-2	2	2	6	6

22		रायगढ़-1	4	4	1	1
23		रायगढ़-2	3	3	5	5
24		जांजगीर	2	2	4	4
25	दुर्ग	दुर्ग-1	5	5	2	2
26		दुर्ग-2	7	7	0	0
27		दुर्ग-3	7	7	6	6
28		दुर्ग-4	6	6	13	13
29		कवर्धा	1	1	0	0
30		राजनांदगांव	4	4	7	7
कुल योग		153	153	139	139	

4.2.9 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

4.2.9.1 प्रतिदाय मामलों के अनुपालन में विलंब

प्रतिदाय एक समयबद्ध प्रक्रिया है जहाँ आवेदन को 15 दिनों के भीतर स्वीकार किया जाना चाहिए और प्रतिदाय को आवेदन की तारीख से 60 दिनों के भीतर स्वीकृत या निरस्त कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, स्वीकृत प्रतिदाय को सात दिनों के भीतर समकक्ष कर प्राधिकरण को सूचित किया जाना चाहिए। उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों के आधार पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों को नीचे दर्शाया गया है।

4.2.9.1 (i) पावती जारी करने में विलंब

छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर (सीजीजीएसटी) नियम, 2017 के नियम 90(1) और (2) में कहा गया है कि यदि आवेदन सभी तरह से पूर्ण पाया जाता है, तो सामान्य पोर्टल के माध्यम से सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिदाय दावा दाखिल करने के 15 दिनों के भीतर पावती जारी की जाएगी। प्री-ऑटोमेशन के मामले में, 15 दिनों की निर्धारित अवधि की गणना सभी सहायक दस्तावेजों के साथ प्रतिदाय आवेदन को मैनुअल रूप से जमा करने की तारीख से की जाएगी।

प्रतिदाय मामलों की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि 19 वृत्तों के 60 प्रतिदाय मामलों में (15 वृत्तों में 50 प्री-ऑटोमेशन के मामले और 07 वृत्तों में 10 पोस्ट-ऑटोमेशन के मामले) पावती जारी करने में 4 से लेकर 232 दिन का विलंब किया गया। विवरण परिशिष्ट 4.2.1ए और परिशिष्ट 4.2.1बी में दिए गए हैं। विलंब से पावती जारी करने से संबंधित प्रेक्षणों का आयुवार विश्लेषण निम्नानुसार है:

तालिका 4.2.3: पावती जारी करने में विलंब का आयुवार विश्लेषण

क्र.सं.	विलंब अवधि	प्रतिदाय मामलों की संख्या		
		प्री-ऑटोमेशन	पोस्ट-ऑटोमेशन	कुल
1.	3 महीनों तक	38	9	47
2.	3-6 महीने	9	1	10
3.	6 महीने से ज्यादा	3	0	03
कुल		50	10	60

इंगित किए जाने पर राज्य कर विभाग के संबंधित सहायक आयुक्तों ने कहा कि विलंब का मुख्य कारण करदाताओं द्वारा बैंक खातों को अद्यतन न करने, चालानों की विस्तृत

जाँच करना, करदाता द्वारा दिए गए गलत/अधूरे बैंक विवरण, सहायक आयुक्तों का अक्सर स्थानांतरण होना और जीएसटीएन माड्यूल का विलंब से आवंटन था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि अधिनियम/नियमों में समय-सीमा निर्दिष्ट की गई है जिसके अनुसार पावती 15 दिनों के भीतर जारी की जानी है। इसके परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर (सीजीजीएसटी) नियम, 2017 के नियम 90 के प्रावधान का पालन नहीं किया गया। इसके अलावा, यह देखा गया है कि प्रतिदाय आवेदनों की पावती जारी करने में विलंब के उपरोक्त 60 मामलों में से 29 प्रतिदाय मामलों में प्रतिदाय स्वीकृति आदेश जारी करने में भी विलंब हुआ है। इसलिए, इस विलंब से छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर (सीजीजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 56 के तहत ब्याज देयता के रूप में सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।

4.2.9.1 (ii) प्रतिदाय आदेश की स्वीकृति में विलंब

छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर नियम 2017 के नियम 92 के साथ पठित छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 54(7) निर्धारित करती है कि प्रतिदाय आवेदन जमा करने पर, अधिकारी जाँच प्रक्रिया को पूरा करेगा और यदि सही/गलत पाया जाता है तो प्रतिदाय स्वीकृत आदेश/अस्वीकृति आदेश तदनुसार, आवेदन प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर जीएसटी के फॉर्म आरएफडी 06 में जारी किया जाएगा। अन्यथा छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 56 के अनुसार, विभाग करदाताओं को छः प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

16 वृत्तों में प्रतिदाय मामलों की जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि 46 प्रतिदाय मामलों में (12 वृत्तों में 33 प्री-ऑटोमेशन के मामले और छः वृत्तों में 13 पोस्ट-ऑटोमेशन के मामले) प्रतिदाय की मंजूरी में 4 से 651 दिनों तक का विलंब हुआ, जिनमें से 21 मामलों में तीन माह से अधिक का विलंब था। इसके परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर (सीजीजीएसटी) नियम 2017 के नियम 92 के साथ पठित छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर (सीजीजीएसटी) अधिनियम 2017 की धारा 54(7) के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, विभाग द्वारा दावेदारों को धारा 56 के तहत ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था जिससे कि राजकोष पर राशि ₹ 0.35 करोड़ की देनदारी बनती है (जुलाई 2021)। प्री-ऑटोमेशन और पोस्ट-ऑटोमेशन के प्रतिदाय मामलों का विवरण क्रमशः परिशिष्ट 4.2.2ए और परिशिष्ट 4.2.2बी में दिया गया है। विलंब से संबंधित प्रेक्षणों का आयुवार विश्लेषण तालिका 4.2.4 में उल्लिखित है।

तालिका 4.2.4: प्रतिदाय आदेशों की स्वीकृति में विलंब का आयुवार विश्लेषण

क्र. सं.	विलंब के अवधि	प्रतिदाय के मामलों की संख्या जिनमें विलंब देखा गया		
		प्री-ऑटोमेशन	पोस्ट-ऑटोमेशन	कुल
1.	3 महीनों तक	15	10	25
2.	3–6 महीने	5	2	07
3.	6 महीने से ज्यादा	13	1	14
	कुल	33	13	46

इंगित किए जाने पर राज्य के विभाग के सहायक आयुक्तों ने पावती जारी करने में विलंब के समान कारण बताए (पैरा 4.2.9.1 (i))।

सहायक आयुक्तों के उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि प्रतिदाय आवेदन का अधिनियम एवं नियमों के अनुसार समय सीमा के भीतर निपटान नहीं किया गया था। प्रतिदाय

मामलों को मंजूर करने में विलंब का स्वरूपवार और तालिका 4.2.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.2.5: प्रतिदाय स्वीकृत करने में विलंब का स्वरूपवार और

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्रतिदाय का स्वरूप	चयनित मामलों की कुल संख्या	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें विलंब देखा गया	विलंब की अवधि	प्रतिदाय की कुल राशि
1.	कर के भुगतान के बिना वस्तु और सेवाओं का निर्यात (EXWOP)	57	27	10 दिन से 1 साल और 286 दिन	30.70
2.	इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण प्रतिदाय (INVITC)	64	3	5 दिन से 74 दिन	0.02
3.	कैश लेजर में अतिरिक्त बैलेस के कारण प्रतिदाय (EXBCL)	132	12	4 दिन से 160 दिन	0.35
4.	कर का अधिक भुगतान (XSPAY)	11	2	64 दिन से 94 दिन	0.05
5.	कोई अन्य (ANYOTH) और ASSORD	28	2	29 दिन से 68 दिन	0.12
कुल		292	46	4 दिन से 1 साल और 286 दिन	31.24

4.2.9.1 (iii) समकक्ष कर प्राधिकरण को प्रतिदाय आदेश संप्रेषित करने में विलंब

केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के परिपत्र क्रमांक 24/24/2017 जीएसटी दिनांक 21.12.2017 के अनुसार, केन्द्रीय कर प्राधिकरण या राज्य कर/संघ राज्य क्षेत्र कर प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए प्रतिदाय आदेश को सात कार्य दिवस के भीतर संबंधित समकक्ष कर प्राधिकरण को कर या उपकर जैसा भी मामला हो, की प्रासंगिक स्वीकृत राशि के भुगतान के प्रयोजन के लिए सूचित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर (सीजीजीएसटी) अधिनियम एवं नियम में भी क्रमशः धारा 54(7) और नियम 91(2) के तहत प्रतिदाय आदेशों की स्वीकृति के लिए निर्दिष्ट समय सीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए दोहराया गया था।

सात वृत्तों में प्रतिदाय मामलों की संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि 40 प्री-ऑटोमेशन में से ₹ 0.28 करोड़ की राशि के 22 प्री-ऑटोमेशन के प्रतिदाय मामले में राज्य प्राधिकरण ने स्वीकृत प्रतिदाय आदेश केन्द्रीय कर अधिकारियों को 4 से 46 दिनों तक के विलंब से अग्रेषित किया। विवरण परिशिष्ट 4.2.3 में दिया गया है। विलंब से संबंधित प्रेक्षणों का आयुवार विश्लेषण तालिका 4.2.6 में उल्लिखित है।

तालिका 4.2.6: समकक्ष कर प्राधिकरण को प्रतिदाय आदेश संप्रेषित करने में विलंब का आयुवार विश्लेषण

क्र. सं.	प्रतिदाय के लिए आवेदन का वर्ष	प्रतिदाय के मामलों की संख्या जिनमें विलंब देखी गई
1.	2017–18	00
2.	2018–19	12
3.	2019–20	10
कुल		22

इस प्रकार, जाहिर तौर पर विभाग ने बोर्ड¹¹ द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया और छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर (सीजीजीएसटी) अधिनियम की धारा 56 के तहत स्वीकार्य व्याज का भुगतान दावेदारों (जुलाई 2021) को नहीं किया गया।

4.2.9.2 अधिनियम/नियमों का पालन न करने के कारण आतिरिक्त प्रतिदाय

छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर (सीजीजीएसटी) नियमावली 2017 के नियम 89(5) में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की अधिकतम प्रतिदाय के लिए सूत्र निर्धारित किया गया है। नियम के अनुसार, नेट आईटीसी में प्रासंगिक अवधि के दौरान केवल इनपुट पर प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट शामिल होता है और इसमें इनपुट सेवाओं पर प्राप्त क्रेडिट शामिल नहीं होता है। इसके अलावा, सीजीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 89(4) में सूत्र निर्धारित है जिसके अनुसार वस्तुओं या सेवाओं की जीरो रेटेड सप्लाई के मामले में प्रतिदाय दिया जाएगा। सूत्र में, "नेट आईटीसी" का अर्थ प्रासंगिक अवधि के दौरान इनपुट और इनपुट सेवाओं पर प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट है। इस प्रकार, पूंजीगत वस्तुओं पर प्राप्त आईटीसी शामिल नहीं किया जाएगा।

सीबीआईसी परिपत्र (मार्च 2018) के अनुसार, जीएसटी बीजक में घोषित वस्तुओं के मूल्य और संबंधित शिपिंग बिल/निर्यात बिल में मूल्य की जाँच की जानी चाहिए और मूल्यों में जो भी कम हो, उसे प्रतिदाय के रूप में स्वीकृत किया जाना चाहिए। अधिसूचना में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि अधिसूचना में दिए गए निर्देश 1 जुलाई 2017 को या उसके बाद किए गए निर्यात पर लागू होते हैं।

उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों के आधार पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विवरण नीचे दिया गया है:

4.2.9.2 (i) नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट में सेवाओं पर क्रेडिट को त्रुटिपूर्ण शामिल करने के कारण अधिक प्रतिदाय

छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम 2017 की धारा 54 (3) के अनुसार एक पंजीकृत व्यक्ति किसी भी कर अवधि के अंत में किसी भी अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट¹² (आईटीसी) के प्रतिदाय का दावा कर सकता है, जहाँ इनपुट पर कर की दर आउटपुट आपूर्तियों पर कर की दर की तुलना में (अर्थात इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर) अधिक होने के कारण क्रेडिट संग्रहित हो गया हो। इसके अलावा, सीजीजीएसटी नियम 2017 के नियम 89 (5) में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण अप्रयुक्त आईटीसी की अधिकतम प्रतिदाय के लिए सूत्र निर्धारित किया गया है। नियम के अनुसार, नेट आईटीसी में प्रासंगिक अवधि के दौरान केवल इनपुट पर प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट शामिल है और इसमें इनपुट सेवाओं पर प्राप्त क्रेडिट शामिल नहीं है।

अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान, यह पाया गया कि चार वृत्तों के 57 प्रतिदाय मामलों (27 प्री- ऑटोमेशन और 30 पोस्ट- ऑटोमेशन के प्रतिदाय मामले) में से आठ प्रतिदाय मामलों में, करदाताओं द्वारा दावा की गई राशि में इनपुट सेवाओं पर प्राप्त आईटीसी शामिल है जिसे प्रतिदाय दावे की गणना करते समय पृथक रखा जाना चाहिए। हालांकि, प्रतिदाय दावे की गणना करते समय विभाग ने नेट आईटीसी की

¹¹ केन्द्रीय उत्पाद और परिपत्र 24/24/2017—जीएसटी, दिनांक 21 दिसम्बर 2017

¹² इनपुट टैक्स क्रेडिट वह क्रेडिट है जो आउटपुट टैक्स चुकाने के लिये सेट ऑफ के लिए उपलब्ध होता है। सरल शब्दों में, आईटीसी खरीददारी के समय किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान किये गये कर पर प्रतिदाय है।

गणना में इनपुट सेवाओं को शामिल किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 81.67 लाख के प्रतिदाय का अनियमित भुगतान हुआ। विवरण तालिका 4.2.7 में दिखाया गया है।

लेखापरीक्षा ने चार वृत्तों में 57 प्रतिदाय मामलों के नमूना जाँच के दौरान देखा कि नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट में सेवाओं पर क्रेडिट को गलत तरीके से शामिल करने के कारण आठ प्रतिदाय मामलों में अधिक प्रतिदाय किया गया था, जिनमें से पाँच प्रतिदाय के मामले राशी स्टील एंड पावर लिमिटेड से संबंधित हैं। राशी स्टील एंड पावर लिमिटेड के पाँच मामलों में से एक का उदाहरण नीचे दिया गया है:

फरवरी 2019 के महीने के लिए राशी स्टील एंड पावर लिमिटेड (GSTN-22AAECR6450Q1Z0) और पावती रसीद संख्या (ARN-AA2209190006938) का प्रतिदाय मामला यह है कि नेट आईटीसी में इनपुट सेवाओं की ₹ 0.42 करोड़ की राशि शामिल है। उपर्युक्त नियम के अनुसार, नेट आईटीसी में इनपुट सेवाओं पर प्राप्त क्रेडिट शामिल नहीं होती है। अनुलग्नक-बी और फॉर्म जीएसटीआर-3बी के अनुसार ₹ 1.27 करोड़ के उपलब्ध आईटीसी से ₹ 0.42 करोड़ को अस्वीकार करने के बाद नेट आईटीसी ₹ 0.85 करोड़ होता है, जबकि माल और सेवाओं की ऐसी इनवर्टेड रेटेड आपूर्ति पर देय कर ₹ 0.92 करोड़ है, जो नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट से अधिक है। इसलिए ₹ 0.35 करोड़ के प्रतिदाय की पूरी राशि अस्वीकार्य है।

तालिका 4.2.7: इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर प्रतिदाय के मामलों का विवरण जिसमें नेट आईटीसी में इनपुट सेवाएं शामिल हैं

(₹ लाख में)

वृत्त का नाम	करदाताओं के नाम	जीएसटी पंजीकरण क्रमांक	पावती रसीद क्रमांक	राशि
बिलासपुर 3	राशी स्टील एंड पावर लिमिटेड	22AAECR6450Q1Z0	AA221217158220R	3.26
			AA2212182189943	14.30
			AA2207172774307	0.01
			AA2211180915657	13.87
			AA2209190006938	35.27
रायपुर 2	यूनम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	22AACU0922C1Z3	AA220619007235H	0.26
रायपुर 3	मेसर्स महेष नेभानी	22ABHPN7881L1Z5	AA220518006456E	0.03
अम्बिकापुर	मैसर्स दुर्गेश सोलर एजेंसियां	22AJAPG7746A1ZT	AA221219003483N	14.67
कुल				81.67

इंगित किए जाने पर सहायक आयुक्तों ने आश्वस्त किया कि वे तथ्यों और आंकड़ों की जाँच के उपरांत आवश्यक कदम उठाएंगे, जबकि रायपुर वृत्त-3 के सहायक आयुक्त ने ब्याज सहित पूरी राशि वसूल कर ली थी।

4.2.9.2 (i) नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट में पूंजीगत वस्तुओं पर क्रेडिट को गलत तरीके से शामिल करने के कारण अधिक प्रतिदाय

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 (3) के अनुसार किसी भी कर अवधि के अंत में एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के प्रतिदाय का दावा किया जा सकता है।

सीजीजीएसटी नियमावली, 2017 का नियम 89(4) सूत्र निर्धारित करता है जिसके अनुसार वस्तुओं या सेवाओं की जीरो-रेटेड आपूर्ति के मामले में प्रतिदाय दिया जाएगा। सूत्र में, "नेट आईटीसी" का अर्थ प्रासंगिक अवधि के दौरान इनपुट और इनपुट सेवाओं

पर प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट है। इस प्रकार, पूंजीगत वस्तुओं पर प्राप्त आईटीसी पर विचार नहीं किया जाएगा।

सीजीजीएसटी नियमावली 2017 के नियम 89(5) में इनवर्टेड डयूटी स्ट्रक्चर के कारण अप्रयुक्त आईटीसी की अधिकतम वापसी के लिए सूत्र निर्धारित किया गया है। नियम के अनुसार, नेट आईटीसी में प्रासंगिक अवधि के दौरान केवल इनपुट पर प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट शामिल है और इसमें इनपुट सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं पर प्राप्त क्रेडिट शामिल नहीं है। इस प्रकार, पूंजीगत वस्तुओं पर प्राप्त आईटीसी पर विचार नहीं किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन वृत्तों में चार प्रतिदाय के दावों में पूंजीगत माल पर प्राप्त आईटीसी की राशि को प्रतिदाय राशि ज्ञात करने के लिए 'नेट आईटीसी' की गणना में शामिल किया गया था। इसके परिणामस्वरूप प्रतिदाय की गणना के दौरान पूंजीगत वस्तुओं को शामिल करने के कारण ₹ 47,006 के प्रतिदाय की अधिक स्थीकृति हुई, जो सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 73 के अनुसार ब्याज सहित वसूली योग्य है।
विवरण तालिका 4.2.8 में दिखाया गया है।

तालिका 4.2.8: प्रतिदाय मामलों का विवरण जिसमें नेट आईटीसी में पूंजीगत माल शामिल हैं

वृत्त का नाम	करदाताओं के नाम और जीएसटी क्रमांक	पावती रसीद क्रमांक	(₹ में) राशि
बिलासपुर 2	आनंद प्लास्टिक इंडिया जीएसटी क्रमांक—22AZPG3018K1ZL	AA2208171512691	8640
रायपुर 6	श्री साईनाथ उद्योग प्रा. लिमिटेड जीएसटी क्रमांक—22AALCS6148P1ZR	AA2209190052890	3661
राजनांदगांव	खेतानी बोर्ड	AA220719002771E	24320
	सनटेक जियोटेक्सटाइल प्रा. लिमिटेड जीएसटी क्रमांक—22AATCS5208C1ZJ	AA220319193179Y	10385
कुल			47006

इंगित किये जाने पर सहायक आयुक्त, राज्य कर विभाग, राजनांदगांव वृत्त ने ₹ 9,880 के ब्याज के साथ ₹ 34,705 वसूल किया तथा शेष दो वृत्तों के अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि राशि ब्याज सहित वसूल की जाएगी।

4.2.9.2 (iii) प्रासंगिक अवधि अनुच्छेद का पालन न करने के कारण अधिक प्रतिदाय

सीजीजीएसटी नियम 89(4) और (5) सूत्र निर्धारित करते हैं जिसके अनुसार वस्तुओं या सेवाओं की जीरो—रेटेड सप्लाई और इनवर्टेड डयूटी स्ट्रक्चर के मामले में प्रतिदाय दिया जाएगा। सूत्र के अनुसार प्रासंगिक अवधि का मतलब वह अवधि है जिसके लिए प्रतिदाय का दावा दाखिल किया गया है।

आगे, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमा शुल्क परिपत्र क्रमांक 59 / 33 / 2018—जीएसटी दिनांक 4 सितंबर 2018 के क्रम सं. 2.3 में कहा गया है कि प्रतिदाय के दावेदारों को ही रही कठिनाइयों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि दावेदार को प्रासंगिक अवधि जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया गया है, के लिए

फॉर्म जीएसटीआर-2ए के प्रिट-आउट के साथ प्रतिदाय दावा संलग्न करना होगा। सक्षम अधिकारी, फॉर्म जीएसटीआर-2ए को उस आपूर्ति, जिसके संबंध में दावेदार द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया गया है, के आपूर्तिकर्ता द्वारा लेखांकन के साक्ष्य के रूप में स्वीकार करेगा। कुछ मामलों में इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित सभी बीजकों का विवरण प्राप्त नहीं किया जा सकता है, संभवतः क्योंकि आपूर्तिकर्ता का फॉर्म जीएसटीआर-1 देरी से दाखिल किया गया था या दाखिल नहीं किया गया था। ऐसे मामले में, सक्षम अधिकारी ऐसे चालानों की हार्ड कॉपी की मांग कर सकता है यदि वह प्रतिदाय के दावे की जाँच के लिए इसे आवश्यक समझता है।

दो वृत्तों¹³ में 50 प्रतिदाय मामलों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि छः प्रतिदाय मामलों में प्रतिदाय की राशि स्वीकृत करते समय प्रासंगिक अवधि अनुच्छेद पर विचार नहीं किया गया था। इसका विवरण तालिका 4.2.9 में दिखाया गया है।

तालिका 4.2.9: प्रतिदाय के मामलों का विवरण जिसमें प्रासंगिक अवधि अनुच्छेद का पालन नहीं किया गया था

(₹ लाख में)				
वृत्त का नाम	करदाताओं के नाम और जीएसटी क्रमांक	पावती रसीद क्रमांक	अधिक प्रतिदाय की राशि	कारण
रायपुर— वृत्त -7	मैसर्स ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स जीएसटी क्रमांक— 22ADLPT9120C1ZQ	AA2206190062320	6.11	जून 2018 से अगस्त 2018 के लिए प्रतिदाय लागू किया गया था लेकिन समायोजित कुल टर्नओवर और नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट की गणना जुलाई 2017 से अगस्त 2018 तक की गई थी
बिलासपुर —वृत्त -2	आनंद प्लास्टिक इंडिया जीएसटी क्रमांक— 22AAZPG3018K1ZL	AA2208171512691	0.48	प्रासंगिक अवधि अगस्त 2017 के विरुद्ध जुलाई, 2017 के चालानों पर आईटीसी का लाभ उठाया गया।
	उजाला रबर उद्योग जीएसटी क्रमांक— 22ABLPK7698A1ZK	AA220917175588L	0.78	प्रासंगिक अवधि सितंबर, 2017 के विरुद्ध अगस्त, 2017 के चालानों पर आईटीसी का लाभ उठाया गया।
		AA221218231333Q	0.98	प्रासंगिक अवधि अक्टूबर 2018 से दिसंबर 2018 के विरुद्ध सितंबर, 2018 के चालानों पर प्राप्त आईटीसी
	एकमे प्लास्टिक उद्योग जीएसटी क्रमांक— 22AIYPD9181FIZZ	AA2203181757047 (प्रासंगिक अवधि जनवरी 2019 से मार्च 2019)	1.79	जनवरी 2019 से मार्च 2019 की प्रासंगिक अवधि के विरुद्ध नवंबर—दिसंबर, 2018 के चालानों पर आईटीसी का लाभ उठाया गया।
	कुल		10.46	

यह इंगित किये जाने पर सहायक आयुक्तों ने आश्वस्त किया कि तथ्यों और आंकड़ों के सत्यापन के बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

4.2.9.3 अनियमित प्रतिदाय

छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर (सीजीजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 54(6) निर्धारित करती है कि 90 प्रतिशत की राशि का अनंतिम (प्रोविजनल) प्रतिदाय केवल उन करदाताओं को दिया जाएगा जो वस्तुओं और सेवाओं की जीरो—रेटेड आपूर्ति करते

¹³ रायपुर, वृत्त- 7 एवं बिलासपुर, वृत्त- 2

हैं। परिपत्र संख्या 45/19/2018—जीएसटी दिनांक 30.05.2018 के अनुसार यह स्पष्ट किया गया था कि बॉन्ड/लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के तहत की गई जीरो—रेटेड आपूर्ति के कारण क्षतिपूर्ति उपकर की संचित आईटीसी का प्रतिदाय उपलब्ध है और पंजीकृत व्यक्ति क्षतिपूर्ति उपकर के प्रतिदाय का दावा कर सकता है।

इसके अलावा, सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 86 (4ए) के अनुसार, जहाँ एक पंजीकृत व्यक्ति ने कर के रूप में भुगतान की गई किसी भी राशि की प्रतिदाय का दावा किया है, लेकिन उसे गलत तरीके से भुगतान किया गया था या अधिक भुगतान किया गया था, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डेबिट किया गया है, उक्त राशि, यदि स्वीकार्य पाई जाती है, तो फॉर्म जीएसटी पीएमटी—03 में किए गए आदेश द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट बहीखाता में फिर से जमा की जाएगी।

उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों के आधार पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों को नीचे दर्शाया गया है:

4.2.9.3 (i) अनंतिम (प्रोविजनल) प्रतिदाय का अनियमित भुगतान

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54(6) के अनुसार, पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की जीरो—रेटेड आपूर्ति के कारण प्रतिदाय के किसी भी दावे के मामले में, दावा किए गए प्रतिदाय का 90 प्रतिशत अनंतिम आधार पर स्वीकृत किया जा सकता है। उसके बाद आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बाद प्रतिदाय दावे के अंतिम निपटान के लिए उप धारा (5) के तहत एक आदेश जारी किया जायेगा। इस प्रकार, वस्तुओं और/या सेवाओं की जीरो—रेटेड आपूर्ति पर ही अनंतिम प्रतिदाय की अनुमति दी जाती है तथा अन्य वर्गों में नहीं।

अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान, तीन वृत्तों (27 प्री—ऑटोमेशन मामले और 25 पोस्ट—ऑटोमेशन मामले) में 52 प्रतिदाय मामलों में से सात प्रतिदाय मामलों में विभाग ने उन मामलों में अनंतिम प्रतिदाय जारी किया था जो वस्तु या सेवाओं की जीरो—रेटेड सप्लाई की श्रेणी में नहीं आते हैं। इस प्रकार, इन मामलों में अनंतिम प्रतिदाय के भुगतान के परिणामस्वरूप ₹ 26.17 लाख के अनंतिम प्रतिदाय का अनियमित भुगतान हुआ। विवरण तालिका 4.2.10 में दिखाया गया है।

तालिका 4.2.10: वस्तुओं और सेवाओं की जीरो—रेटेड आपूर्ति के अलावा प्रतिदाय मामलों का विवरण जिसमें अनंतिम प्रतिदाय स्वीकृत किया गया था

(₹ लाख में)				
वृत्त का नाम	करदाताओं के नाम और जीएसटी क्रमांक	पावती रसीद क्रमांक	राशि	अनंतिम प्रतिदाय आदेश की स्वीकृति की तिथि
रायपुर 03	एम/एस महेश नेभानी एंड कंपनी जीएसटी क्रमांक —22BHPN7881L1Z5	AA220318007923G	0.12	25/05/2019
		AA221118088909S	0.10	25/05/2019
		AA220518006456E	0.08	25/05/2019
	सिच फाइटो केयर प्रा. लिमिटेड जीएसटी क्रमांक —22AACCR8543G1ZH	AA220219126530P	0.90	22/07/2019
रायपुर 09	एस्क्योर फुड एण्ड वेपरेजेस जीएसटी क्रमांक —22ANCA8045R1Z3	AA220119103527L	8.85	01/04/2019
		AA221118087175A	10.05	01/04/2019
भाटापारा	क्वालिटि बैग मेकर्स जीएसटी क्रमांक —22AAAFQ5093M1Z2	AA2211180878034	06.07	04/05/2018
कुल			26.17	

इंगित किए जाने पर सहायक आयुक्तों ने उत्तर दिया कि संबंधित मामले जीएसटी दौर के प्रारंभिक काल के हैं और जीएसटी के प्रारंभिक चरण में सहायक आयुक्तों को उचित प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।

4.2.9.3 (ii) क्षतिपूर्ति उपकर के मामले में अनियमित प्रतिदाय

परिपत्र सं. 45 / 19 / 2018—जीएसटी दिनांक 30.05.2018 द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि बॉन्ड/लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के तहत की गई जीरो—रेटेड आपूर्ति के कारण क्षतिपूर्ति उपकर के संचित आईटीसी की वापसी उपलब्ध है, भले ही निर्यातित उत्पाद उपकर के आरोपण के अधीन न हो। इस परिपत्र के जारी होने के बाद पंजीकृत व्यक्ति जुलाई 2017 से मई 2018 के महीनों में उपयोग किए गए इनपुट पर भुगतान किए गए क्षतिपूर्ति उपकर के प्रतिदाय का दावा अगले महीनों में कर सकता है। ऐसे मामले में, क्षतिपूर्ति उपकर के प्रतिदाय को अधिकतम प्रतिदाय के सूत्र के अनुसार वस्तु की जीरो—रेटेड सप्लाई के मामले में पुनर्गणना की जानी है और यदि क्षतिपूर्ति उपकर के प्रतिदाय की पुनर्गणना की राशियों का योग उस महीने जिसमें वारस्तव में दावा किया गया है, के संबंध में गणना की गई क्षतिपूर्ति उपकर के पात्र प्रतिदाय से कम या बराबर है तो संबंधित महीनों के क्षतिपूर्ति उपकर की पुनर्गणना की कुल राशि स्वीकार्य होगी।

अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान दो वृत्तों में 21 प्रतिदाय मामलों में से (10 प्री—ऑटोमेशन और 11 पोस्ट—ऑटोमेशन मामले), दो मामले क्षतिपूर्ति उपकर की वापसी से संबंधित थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि क्षतिपूर्ति उपकर के प्रतिदाय की पुनर्गणना की गई कुल राशि उस महीने जिसमें वारस्तव में इसका दावा किया गया था, के संबंध में गणना की गई क्षतिपूर्ति उपकर के पात्र प्रतिदाय से अधिक थी। इसलिए ₹ 1.25 करोड़ की क्षतिपूर्ति उपकर की वापस की गई राशि अस्वीकार्य थी। प्रतिदाय के मामलों का विवरण तालिका 4.2.11 में दिखाया गया है।

तालिका 4.2.11: प्रतिदाय मामलों का विवरण जिसमें क्षतिपूर्ति उपकर की अनियमित अनुमति देखी गई थी

(₹ करोड़ में)

वृत्त का नाम	करदाताओं के नाम और जीएसटी क्रमांक	एआरएन	राशि
रायगढ़ 2	मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड जीएसटी क्रमांक— 22AAACM0501D1ZK	AA220719008102P	1.20
दुर्ग 3	जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड जीएसटी क्रमांक— 22AAACJ6715G2ZW	AA220719001037L	0.05
कुल			1.25

इस ओर इंगित किये जाने पर सहायक आयुक्त, रायगढ़ वृत्त—2 ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 27 अप्रैल, 1993 के अनुसार क्षतिपूर्ति उपकर का प्रतिदाय स्वीकार्य है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्णय पूर्व—जीएसटी अवधि से संबंधित है।

4.2.9.3 (iii) इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के स्थान पर बैंक खाते में अनियमित प्रतिदाय

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 (3) में कहा गया है कि एक पंजीकृत व्यक्ति किसी भी कर अवधि के अंत में किसी भी अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रतिदाय का दावा कर सकता है बशर्ते अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई प्रतिदाय इन मामलों के अलावा किसी अन्य मामलों में नहीं किया जाएगा— (i) जीरो—रेटेड सप्लाई और (ii) जहाँ इनपुट पर कर की दर आउटपुट आपूर्ति पर कर की दर से

अधिक होने के कारण क्रेडिट जमा हो गया है (शून्य-रेटेड या पूरी तरह से छूट वाली आपूर्ति के अलावा)।

इसके अलावा, नियम 86 (4ए), सीजीजीएसटी नियम, 2017 के अनुसार जहाँ एक पंजीकृत व्यक्ति ने गलत तरीके से भुगतान किए गए या अधिक भुगतान किए गए कर के रूप में भुगतान की गई किसी भी राशि की वापसी का दावा किया है, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डेबिट किया गया है, उक्त राशि, यदि स्वीकार्य पाया गया, तो सक्षम अधिकारी द्वारा फॉर्म जीएसटी पीएमटी-03 में किए गए आदेश द्वारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में फिर से जमा किया जाएगा।

अभिलेखों की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाँच प्रतिदाय मामलों में पाया कि विभाग ने करदाताओं के बैंक खाते में प्रतिदाय की अनुमति दी थी, जिसे करदाता के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा किया जाना था। उपर्युक्त नियम का पालन नहीं किये जाने से प्रक्रियात्मक चूक के कारण ₹ 49.05 लाख की अनियमित प्रतिदाय हुआ। इसके अलावा, अनियमित प्रतिदाय के परिणामस्वरूप करदाताओं को अनुचित लाभ हुआ जिससे करदाता की कार्यशील/परिचालन पूँजी का प्रवाह बढ़ गया। इसका विवरण नीचे तालिका 4.2.12 में दिया गया है।

तालिका 4.2.12: प्रतिदाय मामलों का विवरण जहाँ आईटीसी को बैंक खाते में वापस किया गया था

(₹ लाख में)				
वृत्त का नाम	करदाताओं के नाम	जीएसटीआईएन	पावती रसीद क्रमांक	राशि
जगदलपुर 1	मे. ऊर्जा प्रापर्टीज प्रा. लि.	22AABCU6244N1Z6	AA220319203621Q AA220219126461M	38.20
जगदलपुर 1	मे. भवर लाल जैन	22ACKPJ2062P1ZH	AA220420002181C	0.06
जगदलपुर 2	अरिहंत एजेंसी	22BVBPS7954N1ZY	AA220720003638M	6.98
जगदलपुर 1	मै. बाबा जनरल स्टोर	22AVXPS7197Q1Z4	AA2207190028267	3.81
कुल				49.05

इसे इंगित किए जाने पर सहायक आयुक्त ने आश्वस्त किया कि इसे लागू ब्याज सहित वसूल किया जाएगा।

4.2.9.4 गणना में त्रुटि के कारण प्रतिदाय का अधिक/कम भुगतान

सीजीजीएसटी नियमावली, 2017 का नियम 89(5) इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के मामले में अधिकतम प्रतिदाय का सूत्र निर्धारित करता है। सूत्र के अनुसार, नेट आईटीसी में पूँजीगत वस्तुओं और इनपुट सेवाओं पर प्राप्त आईटीसी शामिल नहीं है।

सीजीजीएसटी नियमावली, 2017 का नियम 89(4) उस सूत्र को निर्धारित करता है जिसके अनुसार वस्तुओं या सेवाओं की जीरो-रेटेड आपूर्ति के मामले में प्रतिदाय की जाती है। सूत्र के अनुसार, नेट आईटीसी में पूँजीगत वस्तुओं पर प्राप्त आईटीसी शामिल नहीं है।

इसके अलावा, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर का अर्थ है किसी राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश में टर्नओवर, जैसा कि धारा 2 के खंड (112) के तहत परिभाषित किया गया है, प्रासंगिक अवधि के दौरान शून्य-रेटेड आपूर्ति के अलावा अन्य छूट वाली आपूर्ति के मूल्य को छोड़कर।

उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों के आधार पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों को नीचे दर्शाया गया है।

4.2.9.4 (i) इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के मामले में गणना में त्रुटि के कारण अधिक/कम प्रतिदाय

सीजीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 89(5) के अनुसार इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण प्रतिदाय के मामले में, इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रतिदाय निर्धारित सूत्र¹⁴ के अनुसार दिया जाएगा।

चार वृत्तों में 55 प्रतिदाय मामलों (27 प्री-ऑटोमेशन और 30 पोस्ट-ऑटोमेशन के मामले) की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि दो प्रतिदाय मामलों में प्रासंगिक अवधि के दौरान वस्तु और सेवाओं की इनवर्टेड रेटेड आपूर्ति पर देय कर नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट की तुलना में अधिक था।

इसके अतिरिक्त, छः प्रतिदाय मामलों में प्रतिदाय की गणना में त्रुटि थी। इस प्रकार, इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रतिदाय के सूत्र का पालन नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 121.43 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड से संबंधित पाँच मामलों में से एक जिसमें गणना में त्रुटि के कारण अतिरिक्त प्रतिदाय स्वीकृत किया गया था (देय कर नेट आईटीसी से अधिक था) नीचे दर्शाया गया है:

जुलाई से मार्च (2017–18) की कर अवधि के लिए हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड (GSTN-22AAACH1201R1ZX और ARN-AA220318001451X) के प्रतिदाय मामले में करदाता ने ₹ 62.89 करोड़ की नेट आईटीसी जिसमें इनपुट सेवाएं शामिल हैं, पर ₹ 24.61 करोड़ के प्रतिदाय का आवेदन किया था। इनपुट सेवाओं को अस्वीकार करने के बाद नेट आईटीसी की राशि ₹ 1.81 करोड़ होती है जो कि इनवर्टेड रेटेड के देय कर (₹ 38.22 करोड़) से कम है। अतः ₹ 0.90 करोड़ का संपूर्ण प्रतिदाय अस्वीकार्य है।

इसके अलावा, दो वृत्तों के 12 प्रतिदाय मामलों (11 प्री-ऑटोमेशन और एक पोस्ट-ऑटोमेशन) में से 02 प्रतिदाय मामलों में गणना में त्रुटि के कारण ₹ 5.89 लाख कम भुगतान किया गया था। प्रतिदाय के अधिक तथा कम भुगतान का विवरण तालिका 4.2.13 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.2.13: इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर प्रतिदाय मामलों का विवरण जिसमें गणना में त्रुटि के कारण अधिक/कम प्रतिदाय स्वीकृत किया गया था

					₹ लाख में
वृत्त का नाम	करदाताओं के नाम और जीएसटी क्रमांक	पावती रसीद क्रमांक	राशि	कारण	
अधिक भुगतान					
रायपुर वृत्त-5	लेवेन्ट सोलर प्राइवेट लिमिटेड जीएसटी क्रमांक-22AADCL2329R1ZX	AA220719005563C	0.14	देय कर नेट आईटीसी से अधिक है।	
रायगढ़-वृत्त -2	मैसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड जीएसटी क्रमांक-2AAACH1201R1ZX	AA220318001451X	90.36	देय कर नेट आईटीसी से अधिक है।	
दुर्ग वृत्त -4	कोठारी इंजिनियरिंग वर्क्स जीएसटी क्रमांक-22AETPK2294K1Z3	AA220919006402H	0.23	स्टेटमेंट 1 के अनुसार नेट आईटीसी और जीएसटी आरएफडी 01 बनाम खरीद रजिस्टर में बेमेल होने के कारण।	
		AA220819004652C	0.52		

¹⁴ (अधिकतम प्रतिदाय राशि = [(प्रासंगिक अवधि के दौरान माल और सेवाओं की इनवर्टेड रेटेड आपूर्ति का टर्नओवर) x प्रासंगिक अवधि का नेट आईटीसी ÷ प्रासंगिक अवधि का समायोजित कुल टर्नओवर] – प्रासंगिक अवधि के दौरान माल और सेवाओं की इनवर्टेड रेटेड आपूर्ति पर देय कर। नोट- नेट आईटीसी में इनपुट सेवाएं शामिल नहीं हैं।)

दुर्ग वृत्त -3 (पोस्ट-ऑटोमेशन के बाद के)	मेसर्स कोठारी केमिकल्स लिमिटेड जीएसटी क्रमांक – 22AETPK2241N1ZA	AA221219002744K	11.52	बुक के अनुसार नेट आईटीसी 0.398 करोड़ था लेकिन जीएसटी आरएफडी 01 में 1.32 करोड़ के रूप में लिया गया	
दुर्ग वृत्त -4 (पोस्ट-ऑटोमेशन के बाद के)	कोठारी इंजिनियरिंग वर्कर्स जीएसटी क्रमांक – 22AETPK2294K1Z3	AA220420001789L	5.19	स्टेटमेंट 1 के अनुसार नेट आईटीसी और (खरीद रजिस्टर) बनाम जीएसटी आरएफडी 01 में मेल नहीं होने के कारण।	
		AA221119012426O	4.57		
		AA221019000917J	8.90		
कुल			121.43		
कम भुगतान					
रायगढ़ वृत्त-1	मेसर्स अग्रवाल ब्रिक्स उद्योग जीएसटी क्रमांक – 22ADZPA6983C1ZE	AA2209170057547	2.41	प्रतिदाय को बिना किसी वैध कारण के अस्वीकार कर दिया गया था।	
भाटापारा वृत्त	क्वालिटी बैग मेकर्स जीएसटी क्रमांक – 22AAAFQ5093M1Z2	AA2203180878034	3.48	नियमों की गलत व्याख्या और गणना में गलती के कारण।	
कुल			5.89		

इंगित किए जाने पर सहायक आयुक्तों ने आश्वस्त किया कि सत्यापन के पश्चात् आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा, सहायक आयुक्त, रायगढ़ वृत्त ने DRC-03 (8 नवंबर 2021) के माध्यम से ₹ 90.36 लाख की वसूली की और भाटापारा वृत्त ने करदाता को ₹ 0.03 करोड़ का प्रतिदाय दिया था।

4.2.9.4 (ii) बिना कर भुगतान के निर्यात के मामले में गणना में त्रुटि के कारण अधिक/कम वापसी

सीजीजीएसटी नियमावली, 2017 का नियम 89(4) सूत्र¹⁵ निर्धारित करता है जिसके अनुसार वस्तुओं या सेवाओं की जीरो-रेटेड आपूर्ति के मामले में प्रतिदाय दिया जाएगा। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर का अर्थ धारा 2 के अनुच्छेद (112) के तहत परिभाषित राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश में टर्नओवर जो प्रासंगिक अवधि के दौरान जीरो रेटेड सप्लाई के अलावा छूट वाली सप्लाई के मूल्य को छोड़कर है।

रायपुर वृत्त-6 के श्री साईनाथ इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड (जीएसटी क्रमांक—22AALCS6148P1ZR) के प्रतिदाय दावे की नमूना जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रतिदाय दावों की गलत गणना के कारण अधिक/कम प्रतिदाय किया गया है। विवरण तालिका 4.2.14 में दिखाया गया है।

¹⁵ प्रतिदाय = (वस्तुओं के जीरो रेटेड आपूर्ति का टर्नओवर + सेवाओं के जीरो रेटेड आपूर्ति का टर्नओवर) x नेट आईटीसी ÷ समायोजित कुल टर्नओवर

तालिका 4.2.14: बिना कर भुगतान निर्यात के मामलों का विवरण जिनमें गणना में त्रुटि के कारण अधिक/कम प्रतिदाय स्वीकृत किया गया था

(₹ लाख में)

पावती रसीद क्रमांक	राशि	कारण
अधिक भुगतान		
AA2208181019918	0.06	₹ 581958 की जावक कर योग्य आपूर्ति को शामिल नहीं किया गया था।
AA2209180024958	7.95	प्रारंभ में ₹ 34.31 लाख के प्रतिदाय का दावा किया और ₹ 26.36 लाख का संशोधित दावा प्रस्तुत किया। तथापि, विभाग ने ₹ 26.36 लाख के संशोधित दावे के स्थान पर ₹ 34.31 लाख वापस कर दिए। इस प्रकार, ₹ 7.95 लाख की राशि अधिक वापस की गई।
कुल	8.01	
कम भुगतान		
AA2209190052890	0.59	समायोजित कुल टर्नओवर में छूट/नगन्य रेटेड आपूर्ति लेने के बाद गणना की गई।
कुल	0.59	

इस ओर इंगित किये जाने पर रायपुर वृत्त-6 के सहायक आयुक्त ने उत्तर दिया कि तथ्यों एवं ऑकड़ों का सत्यापन कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

4.2.9.5 अन्न-भिन्न कर शीर्ष से प्रतिदाय का दावा किया गया

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के परिपत्र संख्या 59/33/2018-जीएसटी दिनांक 04.09.2018 के क्र.सं. 3.2 में कहा गया है कि कम से कम तीन राशियों की गणना करने के बाद, जैसा कि उक्त परिपत्र के क्र.सं. 3.1 में, विस्तार से दिया गया है, समतुल्य राशि को दावेदार के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से निम्नलिखित क्रम में डेबिट किया जाना है:-

- क) एकीकृत कर, उपलब्ध शेष राशि की सीमा तक।
- ख) केन्द्रीय कर और राज्य कर/संघ राज्य क्षेत्र कर, समान रूप से उपलब्ध शेष राशि की सीमा तक और किसी विशेष इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर (जैसे कि केन्द्रीय कर) में उपलब्ध शेष राशि में कमी की स्थिति में, अंतर राशि को अन्य इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर (अर्थात् इस मामले में राज्य कर/केन्द्र शासित प्रदेश कर) से डेबिट किया जाना है।

तीस वृत्तों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि रायपुर वृत्त-7 के दो प्रतिदाय प्रकरणों में ₹ 0.03 करोड़ एवं ₹ 0.15 करोड़ के अधिकतम प्रतिदाय क्रमशः फरवरी 2019 और जून 2019 में एसजीएसटी के विरुद्ध किए गए, हालांकि आईजीएसटी और सीजीएसटी में क्रेडिट उपलब्ध था। यह इंगित किए जाने पर उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है।

4.2.9.6 उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना प्रतिदाय को अस्वीकार कर दिया गया

सीजीजीएसटी नियम के नियम 92(3) में कहा गया है कि जहाँ सक्षम अधिकारी लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से संतुष्ट है, कि प्रतिदाय के रूप में दावा की गई पूरी या आंशिक राशि स्वीकार्य नहीं है या आवेदक को देय नहीं है, वह आवेदक को एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें उसे इस तरह के नोटिस¹⁶ की प्राप्ति के 15 दिनों की अवधि के भीतर जवाब¹⁷ देने की आवश्यकता होगी और उत्तर पर विचार करने के बाद,

¹⁶ फॉर्म जीएसटी आरएफडी- 08

¹⁷ फॉर्म जीएसटी आरएफडी- 09

पूर्ण या आंशिक रूप से प्रतिदाय की राशि को स्वीकृत करने या उक्त प्रतिदाय को अस्वीकार करने का आदेश¹⁸ देगा और उक्त आदेश आवेदक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा और उप-नियम (1) के प्रावधान, यथोचित परिवर्तनों सहित, स्वीकृत प्रतिदाय की सीमा तक लागू होंगे:

बशर्ते कि आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना प्रतिदाय के लिए कोई भी आवेदन अस्वीकृत नहीं किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि रायपुर के वृत्त-8 के पाँच प्रतिदाय मामलों में से दो प्रतिदाय मामलों में (दो प्री-ऑटोमेशन और तीन पोस्ट-ऑटोमेशन के मामले) सहायक दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण डिफिशिएंसी मेमो (जीएसटी आरएफडी-03) तथा कारण बताओ ज्ञापन जारी किये बिना प्रतिदाय दावा अस्वीकृत कर दिया गया था।

इस संबंध में सहायक आयुक्त का उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2022) है।

4.2.9.7 सामान्य पोर्टल के माध्यम से पावती/डिफिशिएंसी ज्ञापन जारी न करना

सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 90(1), (2) और (3) में प्रावधान है कि प्रतिदाय के आवेदन की तिथि से 15 दिनों के भीतर आवेदक को एक पावती/डिफिशिएंसी ज्ञापन उपलब्ध कराया जाएगा।

बिलासपुर वृत्त- 2 और बिलासपुर वृत्त-3 के 38 प्रतिदाय मामलों (18 प्री-ऑटोमेशन और 20 पोस्ट-आटोमेशन के मामले) में से 16 प्रतिदाय मामलों में लेखापरीक्षा ने देखा कि आवेदक को पावती/डिफिशिएंसी ज्ञापन उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसका विवरण परिशिष्ट 4.2.4 में दिया गया है।

यह इंगित कि ए जाने पर सहायक आयुक्तों ने इसका कोई विशेष कारण तो नहीं बताया परंतु आश्वस्त किया कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी।

4.2.9.8 ₹ 1000 की न्यूनतम प्रारंभिक सीमा का अनुपालन नहीं करने के कारण अधिक प्रतिदाय

सीजीजीएसटी अधिनियम की धारा 54(14) में कहा गया है कि यदि आवेदक की राशि ₹ 1000 से कम है तो उसे कोई प्रतिदाय नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि ₹ 1000 की सीमा प्रत्येक कर मद के लिए पृथक से लागू होगी और संचयी रूप से नहीं— कंडिका 60 सीबीआई और सी परिपत्र संख्या 125 / 44 / 2019—जीएसटी दिनांक 18 नवंबर 2019।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि विभाग ने दो मामलों में ₹ 1000 प्रति मद की उपर्युक्त प्रारंभिक सीमा का अनुपालन नहीं किया था। इसका विवरण तालिका 4.2.15 में दिखाया गया है।

तालिका 4.2.15: प्रतिदाय के मामलों का विवरण जिनमें न्यूनतम सीमा पर विचार किए बिना राशि वापस की गई थी।

(₹ में)	वृत्त का नाम	करदाताओं के नाम	जीएसटीआईएन	पावती रसीद क्रमांक	सीजीएसटी	एसजीएसटी
जगदलपुर वृत्त -1	मे. दीपक कुमार दीवान	22ACVPD1425B1Z8	AA220620008811V	814	814	
	मे. संदीप साजावत	22ACSF3667B1Z1	AA2206200052318	991		991

¹⁸ फॉर्म जीएसटी आरएफडी- 06

यह इंगित किए जाने पर सहायक आयुक्त ने आश्वस्त किया कि इसे ब्याज सहित वसूल किया जाएगा।

4.2.9.9 जीएसटी परिपत्र क्रमांक 135/05/2020—जीएसटी दिनांक 31/03/2020 का अनुपालन न करने के कारण अतिरिक्त प्रतिदाय

जीएसटी परिपत्र संख्या 135/05/2020—जीएसटी दिनांक 31/03/2020 के क्रमांक 5 में कहा गया है कि परिपत्र संख्या 125/44/2019—जीएसटी दिनांक 18.11.2019 के पैरा 36 के अनुसार आईटीसी का प्रतिदाय फॉर्म जीएसटीआर-2ए में नहीं दर्शाए गए बीजकों के संबंध में भी स्वीकार्य था और ऐसे बीजकों की प्रतियां अपलोड करने की आवश्यकता थी। हालांकि, अधिसूचना संख्या 49/2019—जीएसटी दिनांक 9 अक्टूबर 2019 के तहत सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 36 में उप-नियम (4) को शामिल करने के मद्देनजर बीजकों पर प्राप्त आईटीसी के प्रतिदाय जो आवेदक के फॉर्म जीएसटीआर-2ए में नहीं दिख रहे हैं, की स्वीकार्यता के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालयों से विभिन्न संदर्भ प्राप्त हुए हैं।

मामले की सीबीआईसी द्वारा जाँच की गई और यह निर्णय लिया गया कि संचित आईटीसी की वापसी उन बीजकों के अनुसार आईटीसी तक सीमित होगी, जिसका विवरण आपूर्तिकर्ता द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-1 में अपलोड किया गया है और आवेदक का फॉर्म जीएसटीआर-2ए में परिलक्षित होता है। तदनुसार, परिपत्र संख्या 125/44/2019—जीएसटी, दिनांक 18 नवंबर 2019 के पैरा 36 को उस सीमा तक संशोधित किया गया है।

रायपुर वृत्त-7 के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान प्रतिदाय के 30 प्रकरणों (20 प्री-ऑटोमेशन और 10 पोस्ट-ऑटोमेशन के मामले) में से तीन प्रतिदाय मामले में यह देखा गया कि नेट आईटीसी में जीएसटीआर-2ए के आंकड़ों के साथ-साथ बीजकों के आंकड़े भी शामिल हैं जो जीएसटीआर-2ए में अपलोड नहीं किए गए थे। अतः सहायक आयुक्त ने ₹ 27.93 लाख की अधिक स्वीकृति दी। विवरण तालिका 4.2.16 में दिखाया गया है।

तालिका 4.2.16: प्रतिदाय मामलों का विवरण जिसमें जीएसटी परिपत्र 135/05/2020 का अनुपालन नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

वृत्त का नाम	करदाताओं के नाम	जीएसटी पंजीकरण क्रमांक	एआरएन	राशि
रायपुर 7	रेडिएंट ऑफशोर कंसल्टेंसी एलएलपी	22AATFR5203M1ZY	AA220620000498P	0.84
	सनफ्लैग एग्रोटेक	22ALVPA2615H1ZE	AA220520005365X	0.85
	जिनकुशल इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड	22AACZ3367N1Z0	AA220620003385V	26.24
कुल				27.93

यह इंगित किए जाने पर सहायक आयुक्त ने जवाब दिया कि वे तथ्यों और आंकड़ों की जाँच के बाद आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

4.2.9.10 अभिलेखों को प्रस्तुत न करना

पाँच वृत्तों की लेखापरीक्षा के दौरान 43 प्री-ऑटोमेशन प्रतिदाय मामलों में से 19 प्री-ऑटोमेशन प्रतिदाय मामलों के पूर्ण अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए

गए थे। इन अभिलेखों के अभाव में लेखापरीक्षा इन मामलों में राज्य कर विभाग के प्रदर्शन का सत्यापन नहीं कर सका। ऐसे मामलों का विवरण परिशिष्ट 4.2.5 में दिया गया है।

इसके अलावा, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमा शुल्क परिपत्र संख्या 125 / 44 / 2019—जीएसटी दिनांक 18 नवंबर, 2019 के अनुलग्नक ए के अनुसार, बयान/घोषणा/वचन/प्रमाण पत्र और अन्य सहायक दस्तावेजों को प्रतिदाय आवेदन के साथ अपलोड करना आवश्यक है। इसका विवरण तालिका 4.2.17 में दिखाया गया है।

तालिका 4.2.17: प्रतिदाय आवेदन के साथ प्रदान किए जाने वाले सभी विवरणों/घोषणाओं/उपक्रमों/प्रमाणपत्रों और अन्य सहायक दस्तावेजों की सूची

क्र. सं.	प्रतिदाय के प्रकार	घोषणा/विवरण/अंडरटेकिंग/प्रमाणपत्र जिसे ऑनलाइन भरा जाना है	अतिरिक्त रूप से अपलोड किए जाने वाले सहायक दस्तावेज
1.	इनवर्टर्ड टैक्स स्ट्रक्चर के कारण संचित होने से अप्रयुक्त आईटीसी का प्रतिदाय	(क) धारा 54(3) के दूसरे और तीसरे प्रावधान के तहत घोषणा। (ख) धारा 54(3)(ii) के तहत घोषणा धारा 16(2)(सी) और धारा 42(2) के संबंध में (ग) नियम 89(5) के तहत विवरण 1 में दर्ज चालानों की स्व-प्रमाणित प्रतियां। (घ) नियम 89(2)(एच) के तहत विवरण 1ए। (ङ) नियम 89(2)(एल) के तहत स्व-घोषणा यदि दावा की गई राशि दो लाख रुपये से अधिक नहीं है, अन्यथा नियम 89(2)(एम) के तहत प्रमाणीकरण	(क) प्रासंगिक अवधि के जीएसटीआर-2ए की प्रति। (ख) चालान का विवरण (अनुबंध-बी)। (ग) अनुलग्नक-बी में दर्ज चालानों की स्व-प्रमाणित प्रतियां जिनका विवरण प्रासंगिक अवधि के जीएसटीआर-2ए में नहीं मिलता है।
2.	कर भुगतान के बिना निर्यात के कारण अप्रयुक्त आईटीसी का प्रतिदाय	(क) धारा 54(3) के दूसरे और तीसरे प्रावधान के तहत घोषणा। (ख) धारा 42(2) और 16(2)(सी) अनुभागों के संबंध में वचनबद्धता (ग) नियम 89(2)(बी) और नियम 89(2)(सी) के तहत विवरण 3 (घ) नियम 89(4) के तहत विवरण 3ए	(क) प्रासंगिक अवधि के जीएसटीआर-2ए की प्रति। (ख) चालान का विवरण (अनुबंध-बी) (ग) अनुलग्नक-बी में दर्ज चालानों की स्व-प्रमाणित प्रतियां जिनका विवरण प्रासंगिक अवधि के जीएसटीआर-2ए में नहीं मिलता है। (घ) सेवाओं के निर्यात के मामले में बैंक वसूली प्रमाणपत्र (बीआरसी)/विदेशी आवक विप्रेषण प्रमाणपत्र (एफआईआरसी) और वस्तु के मामले में शिपिंग बिल (केवल गैर-इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेज (ईडीआई) बंदरगाहों के माध्यम से किए गए निर्यात के मामले में)।
3.	कर भुगतान के साथ की गई सेवाओं के निर्यात पर कर का प्रतिदाय किया गया	(क) धारा 54(3) के दूसरे और तीसरे प्रावधान के तहत घोषणा (ख) धारा 42(2) और 16(2)(सी) अनुभागों के संबंध में वचनबद्धता (ग) नियम 89(2)(सी) के तहत विवरण 2	(क) बीआरसी/एफआईआरसी/सेवाओं की विक्रय आय की प्राप्ति का संकेत देने वाला कोई अन्य दस्तावेज। (ख) प्रासंगिक अवधि के जीएसटीआर-2ए की प्रति। (ग) चालान का विवरण (अनुबंध-बी)।

			(घ) अनुबंध—ए में दर्ज चालानों की स्व—प्रमाणित प्रतियां जिनका विवरण प्रासंगिक अवधि के जीएसटीआर—2ए में नहीं मिलता है। (ङ) सीजीएसटी नियम के नियम 91 के उप—नियम (1) के तहत अस्थायी प्रतिदाय प्राप्त करने के लिए गैर—अभियोजन के संबंध में स्व—घोषणा।
4.	कर के भुगतान के बिना एसईजेड ईकाइयों/ विकासकर्ताओं को की गयी आपूर्ति पर अप्रयुक्त आईटीसी का प्रतिदाय	(क) धारा 54(3) के तीसरे प्रावधान के तहत घोषणा। (ख) नियम 89(2)(डी) और नियम 89(2)(ई) के तहत विवरण 5। (ग) नियम 89(4) के तहत विवरण 5ए। (घ) नियम 89(2)(एफ) के तहत घोषणा। (ङ) धारा 42(2) और 16(2)(सी) के अनुभागों के संबंध में उपक्रम। (च) नियम 89(2)(एल) के तहत स्व—घोषणा यदि दावा की गई राशि दो लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो नियम 89(2)(एम) के तहत प्रमाणीकरण अन्यथा।	(क) प्रासंगिक अवधि के जीएसटीआर—2ए की प्रति (ख) चालान का विवरण (अनुबंध—बी) (ग) अनुलग्नक—बी में दर्ज चालानों की स्व—प्रमाणित प्रतियां जिनका विवरण प्रासंगिक अवधि के जीएसटीआर—2ए में नहीं मिलता है। (घ) नियम 89(1) के दूसरे प्रावधान के तहत अधिकृत संचालन के लिए वस्तु/सेवाओं की प्राप्ति के संबंध में एसईजेड के निर्दिष्ट अधिकारी से अनुमोदन

चौबीस वृत्तों में 139 पोस्ट—ऑटोमेशन नमूने प्रतिदाय मामलों की लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि 40 प्रतिदाय मामलों में आवश्यक दस्तावेज जैसे जीएसटीआर—2ए, बीजकों का विवरण आदि छत्तीसगढ़ जीएसटी के वेब पोर्टल पर प्रतिदाय के आवेदन के साथ अपलोड नहीं पाये गये। पच्चीस प्रतिदाय मामलों में, नेट आईटीसी की गणना के लिए आवश्यक दस्तावेज करदाता द्वारा अपलोड नहीं किए गए थे और 15 प्रतिदाय मामलों में प्रतिदाय की राशि की डेबिट प्रविष्टि दिखाने वाली इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की प्रति अपलोड नहीं की गई थी, जैसा कि **परिशिष्ट 4.2.6** में वर्णित है। इस प्रकार, लेखापरीक्षा संभावित अधिक/अनियमित वापसी के मामलों का पता नहीं लगा सका।

4.2.9.11 आंतरिक नियंत्रण तंत्र

विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा विंग आंतरिक नियंत्रण तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसे आम तौर पर सभी नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है ताकि संगठन स्वयं को यह आश्वस्त कर सके कि निर्धारित प्रणालियां यथोचित रूप से कार्य कर रही हैं।

केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड परिपत्र संख्या 17/17/2017—जीएसटी दिनांक 15 नवंबर 2017 ने जीरो रेटेड सप्लाई के प्रतिदाय के मैनुअल प्रसंस्करण की प्रक्रिया को विस्तृत रूप से निर्धारित किया। परिपत्र, अन्य बातों के साथ—साथ, निर्धारित करता है कि मैनुअल रूप से संसाधित प्रतिदाय आवेदनों की प्री—ऑडिट तब तक आवश्यक नहीं है जब तक कि बोर्ड द्वारा पृथक विस्तृत दिशानिर्देश जारी नहीं किए जाते हैं, चाहे इसमें कितनी भी राशि शामिल हो। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया था कि मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिदाय आदेश का पोस्ट ऑडिट जारी रहेगा।

लेखापरीक्षा के दौरान यह इंगित किये जाने पर विभाग ने कहा कि विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए 42 अधिकारियों को मिलाकर 10 लेखापरीक्षा दलों के साथ आंतरिक लेखापरीक्षा विंग का गठन किया गया है। हालांकि, विभाग द्वारा जुलाई 2017 से जुलाई 2020 तक की अवधि के लिए प्रतिदाय मामलों की न तो आंतरिक लेखापरीक्षा की गई और न ही पोस्ट ऑडिट के लिए कोई नमूना मामले भेजे गए।

इस प्रकार, आंतरिक लेखापरीक्षा और पोस्ट ऑडिट के साथ प्रतिवेदन में इंगित व्यापक रूप से फैली हुई तंत्रात्मक कमियां एक उचित संकेत है कि आंतरिक नियंत्रण तंत्र कमज़ोर है।

4.2.10 निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित 01 जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2020 की अवधि के 292 नमूना प्रतिदाय दावों की जाँच से पता चला कि दावों के निपटान में विलंब (651 दिनों तक) हुआ था। विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के स्थान पर करदाताओं के बैंक खाते में प्रतिदाय स्वीकृत किया जो करदाता की कार्यशील/परिचालन पूँजी के प्रवाह में अनुचित लाभ को दर्शाता है। विशिष्ट निर्देशों के बावजूद प्रतिदाय दावों का पोस्ट ऑडिट नहीं किया गया था। पूँजीगत माल से प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को नेट आईटीसी में गलत तरीके से शामिल करने और कर अवधि के प्रतिबंधों का पालन न करने, क्षतिपूर्ति उपकर की अनियमित अनुमति के कारण अतिरिक्त प्रतिदाय किया गया था। आगे, करदाताओं द्वारा अपलोड किए जाने के लिए आवश्यक पूर्ण दस्तावेज या तो अपलोड नहीं किए गए थे या लेखापरीक्षा दल को इसकी पहुंच नहीं दी गई थी।

4.2.11 अनुशंसाएं

1. ब्याज के भुगतान की देनदारी से बचने के लिए विभाग को समयबद्ध तरीके से प्रतिदाय मामलों से निपटने के लिए एक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए।
2. प्रतिदाय के अधिक/अनियमित भुगतान से बचने के लिए नेट आईटीसी की गणना करते समय विभाग को सीबीआईसी और राज्य सरकार द्वारा जारी प्रासंगिक अधिनियमों/नियमों/परिपत्र का सख्ती से पालन करना चाहिए।
3. विभाग को संबंधित अधिनियमों/नियमों/परिपत्रों का सख्ती से पालन करना चाहिए ताकि प्रतिदाय के भुगतान में अनियमितताओं और प्रक्रियात्मक छूक से बचा जा सके।
4. विभाग को वार्षिक लेखापरीक्षा योजना बनानी चाहिए और प्रतिदाय के मामलों की लेखापरीक्षा करनी चाहिए।

4.3 वाणिज्यिक कर विभाग की अनुपालन लेखापरीक्षा

4.3.1 परिचय


छत्तीसगढ़ राज्य में मूल्य संवर्धित कर, केन्द्रीय विक्रय कर एवं प्रवेश कर का आरोपण, निर्धारण एवं संग्रहण क्रमशः छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 एवं प्रवेश कर अधिनियम, 1976 के द्वारा प्रशासित किया गया। मूल्य संवर्धित कर एक बहु-स्तरीय कर है जो मूल्यवर्धन श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर इस प्रावधान के साथ आरोपित किया जाता है कि पूर्व में भुगतान किए गए कर पर इनपुट कर छूट की अनुमति होगी जिसका उपयोग बाद के विक्रय पर मूल्य संवर्धित कर / केन्द्रीय विक्रय कर की देनदारी हेतु किया जा सकेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 01 जुलाई 2017 से लागू किया गया। इसके लागू होने के पूर्व छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 एवं प्रवेश कर अधिनियम, 1976 लागू थे। जीएसटी के लागू होने के बाद भी पेट्रोलियम उत्पाद और मानव सेवन के लिए शराब जैसे कुछ वस्तुओं पर अभी भी मूल्य संवर्धित कर तथा केन्द्रीय विक्रय कर लागू है।

चूंकि वस्तु एवं सेवा कर 01 जुलाई 2017 से प्रभाव में आ चुका है इसलिए मूल्य संवर्धित कर प्रणाली से संबंधित लंबित कर निर्धारण प्रकरणों का निस्तारण जैसे परंपरागत मुद्दों का समाधान वरीयता के आधार पर करना होगा। पुरानी कर प्रणाली (2017–18 की प्रथम तिमाही) के प्रकरणों का कर निर्धारण अभी भी लंबित है। तथापि, इस संबंध में विभाग द्वारा जारी अधिसूचना से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2017–18 के प्रथम तिमाही के पुराने कर निर्धारण प्रकरणों के निस्तारण हेतु मई 2022 तक का समय तय किया गया है।

4.3.2 संगठनात्मक संरचना

प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग शासन स्तर पर विभागीय प्रशासनिक प्रमुख होता है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर इस विभाग का प्रमुख होता है और तीन अपर आयुक्त, 12 उपायुक्त, 26 सहायक आयुक्त, 72 वाणिज्यिक कर अधिकारी, 121 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं 174 वाणिज्यिक कर निरीक्षक ऐसे कार्य, जो इन्हें अधिनियम के अंतर्गत निहित किए गए हैं, उनके निष्पादन में इनकी सहायता करते हैं। वर्तमान में विभाग में उपरोक्त स्वीकृत पदों पर 10 उपायुक्त, 20 सहायक आयुक्त, 54 वाणिज्यिक कर अधिकारी, 71 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी तथा 115 वाणिज्यिक कर निरीक्षक कार्यरत हैं।



4.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

अनुपालन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित एवं मूल्यांकन करने के लिए किया गया कि क्या:

- मूल्य संवर्धित कर, केन्द्रीय विक्रय कर एवं प्रवेश कर के अंतर्गत करों का निर्धारण निर्धारित प्रक्रियानुसार तथा कर की लागू दरें अधिरोपित करते हुए किया गया;
- कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई छूट/रियायत वैध घोषणा फार्म से समर्थित थे, एवं
- दाखिल की गई कर विवरणी की प्रारंभिक जाँच करने में कर निर्धारण प्राधिकारी ने यथोचित प्रयास किया।

4.3.4 लेखापरीक्षा मानदंड

निम्नलिखित अधिनियमों, नियमों एवं परिपत्रों/अधिसूचनाओं के प्रावधानों को लेखापरीक्षा मानदंड के रूप में प्रयोग किया गया:

- छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005
- छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006
- केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956
- केन्द्रीय विक्रय कर नियम, 1957

- छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम, 1976
- छत्तीसगढ़ प्रवेश कर नियम, 1976
- विभाग तथा राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किए गए नियम, परिपत्र, छूट की अधिसूचना तथा निर्देश।

4.3.5 लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र एवं पद्धति

अनुपालन लेखापरीक्षा हेतु राज्य की कुल 50 ईकाइयों (30 वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं 20 सहायक आयुक्त) में से 16 ईकाइयों (आठ वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं आठ सहायक आयुक्त) का चयन किया गया। इन चयनित 16 ईकाइयों में से आठ वाणिज्यिक कर अधिकारी की ईकाइयों का चयन सरल यादृच्छिक नमूनाकरण बिना प्रतिस्थापन विधि के आधार पर किया गया जो कुल वाणिज्यिक कर अधिकारी की ईकाइयों का 25 प्रतिशत है तथा शेष आठ सहायक आयुक्त की ईकाइयों का चुनाव आठ चयनित वाणिज्यिक कर अधिकारी जो इन्हीं सहायक आयुक्तों के क्षेत्राधिकार में हैं, से स्वतः ही हो गया। कुल 14¹⁹ ईकाइयों (सात वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं सात सहायक आयुक्त) में वित्त वर्ष 2014–17 के लिए निर्धारण वर्ष 2018–22 के दौरान कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा निर्धारित किए गए मामलों की अनुपालन लेखापरीक्षा नवंबर 2020 से सितंबर 2021 के बीच संचालित की गई।

4.3.6 राजस्व की प्रवृत्ति

वर्ष 2014–15 से 2016–17 के दौरान मूल्य संवर्धित कर, केन्द्रीय विक्रय कर तथा प्रवेश कर के अंतर्गत बजट अनुमान तथा वास्तविक प्राप्तियों का विवरण तालिका 4.3.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.3.1: बजट अनुमान तथा वास्तविक प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पंजीकृत व्यवसायियों की संख्या	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ				बजट अनुमान और वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता/भिन्नता प्रतिशत
			मूल्य संवर्धित कर	केन्द्रीय विक्रय कर	प्रवेश कर	कुल	
2014–15	72468	9800.00	7495.75	932.36	768.44	9196.55	(–)603.45 / 6.15
2015–16	73495	10998.00	7971.08	911.32	743.51	9625.91	(–)1372.09 / 12.48
2016–17	80358	11928.37	9000.77	914.25	1294.16	11209.18	(–)719.19 / 6.03

(स्त्रोत: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि मूल्य संवर्धित कर/केन्द्रीय विक्रय कर/प्रवेश कर से प्राप्त राजस्व वर्ष 2014–15 से वर्ष 2016–17 के दौरान बढ़ गया है। वर्ष 2014–17 के दौरान प्राप्त कुल राजस्व में सिर्फ मूल्य संवर्धित कर से प्राप्त राजस्व का हिस्सा 80 प्रतिशत से भी अधिक था। मूल्य संवर्धित कर एवं पंजीकृत व्यवसायियों की संख्या की दर में वृद्धि होने के कारण वर्ष 2015–16 की तुलना में वर्ष 2016–17 में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि हुई।

¹⁹ कोविड-19 के कारण दो ईकाइयों (वाणिज्यिक कर अधिकारी-2, दुर्ग एवं सहायक आयुक्त-2, दुर्ग) को पूरा नहीं किया जा सका।

4.3.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

4.3.7.1 कर की गलत दर का अनुप्रयोग

मूल्य संवर्धित कर के कम दर के अनुप्रयोग से कर की राशि ₹ 6.50 करोड़ का कम आरोपण /अनारोपण

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 8 अधिनियम से संलग्न अनुसूचियों में नियत दर पर माल के वर्गीकरण के आधार पर कर के आरोपण का प्रावधान करता है। साथ ही छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची II के भाग IV की प्रविष्टि संख्या 1 के अनुसार ऐसे सभी माल जो अनुसूची I, अनुसूची II के भाग—I (1 प्रतिशत), भाग-II (5 प्रतिशत) तथा भाग-III (25 प्रतिशत) में शामिल नहीं हैं, पर 14/14.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है।

लेखापरीक्षा ने 10^{20} इकाइयों में 9,356 (स्व—कर निर्धारण—3,047 एवं कर निर्धारण—6,309) में से 2,138 (स्व—कर निर्धारण—1,152 एवं कर निर्धारण—986) प्रकरणों के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया कि 25 प्रकरणों (स्व—कर निर्धारण—17 एवं कर निर्धारण—8) में कर की राशि ₹ 649.50 लाख का कम आरोपण हुआ, जिसका विवरण इस प्रकार है:

- (अ) स्व—कर निर्धारण के 17 प्रकरणों में व्यवसायियों ने अपने कर विवरणियों में या तो कर की लागू दर 5/7 तथा 14/14.5 प्रतिशत के बजाय कर की शून्य, दो तथा पाँच प्रतिशत की रियायती दर/गलत दर प्रयुक्त किया या घोषणा फॉर्म²¹ के समर्थन के बिना ही करमुक्त विक्रय का दावा किया। व्यवसायियों द्वारा उनके विवरणियों में दी गई जानकारी की सत्यता तथा संपूर्णता की प्रारंभिक जाँच करने में कर निर्धारण प्राधिकारी असफल रहे। यद्यपि, विवरणियों के साथ संलग्न किए गए दस्तावेजों (क्रय/विक्रय विवरण) के प्रति—परीक्षण में लेखापरीक्षा ने पाया कि मालों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण कर की गलत दर का आरोपण हुआ तथा घोषणा प्रमाणपत्र के बिना ही कर मुक्त विक्रय की अनुमति दी गई। इसके परिणामस्वरूप कर की राशि ₹ 516.34 लाख का कम आरोपण हुआ।
- (ब) लेखापरीक्षा ने पाँच इकाइयों के आठ कर निर्धारण प्रकरणों में पाया कि मालों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण जैसे मछली की औषधि को मछली का भोजन, सौर बैटरी को सौर ऊर्जा उपकरण, पानी के पम्प सेट एवं मोटर पुर्जे को सबमर्सिबल पम्प तथा स्टील ट्रंक को टिन ट्रंक के रूप में वर्गीकृत करने के कारण कर की राशि ₹ 133.16 लाख का कम आरोपण हुआ।

उपरोक्त प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट 4.3.1 में दिया गया है। इनमें से ₹ 85.19 लाख के कर प्रभाव के एक प्रकरण का विवरण निम्नानुसार है:

सौर बैटरी को सौर ऊर्जा उपकरण के रूप में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण करने के कारण मूल्य संवर्धित कर का कम आरोपण

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची II के भाग IV के अनुसार, ‘वर्ष 2013–14 के लिए ऐसे सभी अन्य वस्तुओं जो अनुसूची I तथा अनुसूची II के भाग—I, II एवं III में सूचीबद्ध नहीं हैं, पर 14 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था’। तदनुसार, सभी अवशिष्ट वस्तुओं पर 14 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था।

²⁰ वाणिज्यिक कर अधिकारी—1, रायपुर; वाणिज्यिक कर अधिकारी—2, रायपुर; वाणिज्यिक कर अधिकारी—3, रायपुर; वाणिज्यिक कर अधिकारी—4, रायपुर; वाणिज्यिक कर अधिकारी—6, रायपुर; वाणिज्यिक कर अधिकारी—7, रायपुर; वाणिज्यिक कर अधिकारी—9, रायपुर; सहायक आयुक्त—1, रायपुर; सहायक आयुक्त—2, रायपुर तथा सहायक आयुक्त—9, रायपुर

²¹ अधिसूचना संख्या एफ—10/128/2007/वा.क./पाँच (42) दिनांक अक्टूबर 2007 के अनुसार

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ-10/15/2012/वा.क./पाँच (20) दिनांक 31.03.2012 के अनुसार अवधि 01.04.2012 से 31.03.2015²² के लिए सौर ऊर्जा उपकरण एवं पुर्जों को कर से छूट प्रदान किया गया था।

अभिलेखों की जाँच में लेखापरीक्षा ने पाया कि सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त-1, रायपुर के एक कर निर्धारण प्रकरण में एक व्यवसायी ने वर्ष 2013-14 में सौर ऊर्जा उपकरण एवं सौर बैटरी का विक्रय किया तथा इस पर करमुक्त माल के रूप में छूट प्राप्त किया। व्यवसायी ने सौर बैटरी का क्रय किया तथा किसी कर का भुगतान किए बिना सौर ऊर्जा उपकरण के साथ इनका विक्रय कर दिया। लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिसूचना क्रमांक 20 दिनांक 31 मार्च 2012 के तहत सौर बैटरी के विक्रय को सौर ऊर्जा उपकरण एवं पुर्जा के अंतर्गत करमुक्त विक्रय मानते हुये कर निर्धारण प्राधिकारी ने किसी कर का आरोपण नहीं किया। हालांकि आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग छत्तीसगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 24.02.2014 में मेसर्स पैनेशिया डिस्ट्रीब्यूटर के प्रकरण में यह स्पष्ट किया है कि 'सौर बैटरी' अधिसूचना संख्या एफ-10/15/2012/वा.क./पाँच (20) दिनांक 31.03.2012 (जो सौर ऊर्जा उपकरण एवं पुर्जों पर कर से छूट प्रदान करता है) में तथा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची II के भाग-I, II एवं III में सूचीबद्ध अन्य प्रविष्टियों में शामिल नहीं है। अतः यह अवशिष्ट वस्तुओं के रूप में 14 प्रतिशत की दर से करारोपणीय था।

इस प्रकार, सौर बैटरी के लिए करमुक्त माल का छूट दिए जाने के कारण सौर बैटरी के विक्रय पर मूल्य संवर्धित कर की राशि ₹ 85.19 लाख का अनारोपण हुआ।

इंगित किए जाने (अक्टूबर 2021) पर शासन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि छ: प्रकरणों में राशि ₹ 1.93 करोड़ की माँग हेतु नोटिस जारी की गई है और 16 प्रकरणों में व्यवसायियों को पुनर्निर्धारण हेतु नोटिस जारी किया गया है। शेष तीन प्रकरणों, जिनमें तीन व्यवसायी शामिल हैं, के संबंध में शासन का उत्तर तालिका 4.3.2 में वर्णित है:

तालिका 4.3.2: शासन का उत्तर

ईकाई का नाम	परिशिष्ट 4.3.1 के सरल क्रमांक का संदर्भ	शासन का विस्तृत उत्तर	लेखापरीक्षा का प्रत्युत्तर
वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-4, रायपुर (यूनिस्टोन पैनल्स प्राइवेट लिमिटेड टिन-22801406624)	8	एल्युमिनियम कम्पाजिट पैनल (एसीपी) एल्युमिनियम उत्पाद के अंतर्गत आता है। अतः पाँच प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है।	शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एसीपी एक कम्पोजिट पदार्थ है जिसमें एल्युमिनियम की दो पतली परत के बीच थर्मोप्लास्टिक पॉलिथीन कोर और अग्निरोधी कोर को दबाकर बनाया जाता है तथा एल्युमिनियम उत्पाद की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अतः एसीपी अवशिष्ट माल की श्रेणी में आता है और इस प्रकार यह 14 प्रतिशत की दर से करारोपणीय है। साथ ही आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, कर्नाटक ने अपने स्पष्टीकरण में दिनांक 26.01.2012 को यह स्पष्ट किया कि एसीपी मूल्य संवर्धित कर के अंतर्गत 14 प्रतिशत की दर से करारोपणीय है।
वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-4, रायपुर (पल इंटरप्राइजेज टिन-22091406287)	9	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची I की प्रविष्टि संख्या 23	शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची II की प्रविष्टि संख्या 41 के अनुसार 'सब्जी मशरूम' पाँच प्रतिशत की दर से करारोपणीय है। साथ ही माल की विशिष्ट

²² अधिसूचना संख्या 07 तथा 44 दिनांक 22.03.2013 तथा 04.03.2014 के अनुसार प्रतिस्थापित आंकड़ा 2013 एवं 2014

		के अंतर्गत मशरूम और स्वीटकॉर्न ताजी सब्जी और फल हैं, अतः करमुक्त हैं।	प्रविष्टि को सामान्य प्रविष्टि पर वरीयता प्राप्त है। अतः मशरूम अधिनियम में उल्लेखित निर्धारित दर से करारोपणीय है।
वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-3, रायपुर (सूर्योदयन, टिन-22861307942)	10	सौर बैटरी, सौर ऊर्जा उपकरण एवं पुर्जे के अंतर्गत करमुक्त हैं।	मेसर्स पैनेशिया डिस्ट्रीब्यूटर के प्रकरण में आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, छत्तीसगढ़ के स्पष्टीकरण दिनांक 24.02.2014 के अनुसार शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है जहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि 'सौर बैटरी' अधिसूचना संख्या एफ- 10/15/2012/वा.क./पॉच (20) दिनांक 31.03.2012 (जो सौर ऊर्जा उपकरण एवं पुर्जे पर मूल्य संवर्धित कर से छूट प्रदान करता है) के अंतर्गत शामिल नहीं है और तदनुसार, 14 प्रतिशत की दर से करारोपणीय है।

4.3.7.2 प्रवेश कर के गलत दर का अनुप्रयोग

स्थानीय क्षेत्र के बाहर से वस्तुओं के प्रवेश पर कर के गलत दर के अनुप्रयोग से प्रवेश कर की राशि ₹ 2.65 करोड़ की कम प्राप्ति/अप्राप्ति

छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम, 1976 की धारा 3 के अनुसार यदि कोई व्यापारी अपने व्यापार के दौरान प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र में खपत, उपयोग या विक्रय हेतु वस्तुएं लाता है तो वह अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट दर से प्रवेश कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। साथ ही यदि अनुसूची-III में विनिर्दिष्ट वस्तुओं को स्थानीय क्षेत्र में खपत या उपयोग हेतु परंतु विक्रय हेतु नहीं, लाया जाता है तो इन पर उल्लिखित दर से प्रवेश कर आरोपणीय है। आगे, छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम की धारा 4-अ यह प्रावधान करती है कि राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित ऐसी वस्तुओं जिनका उपयोग या खपत ऐसे स्थानीय क्षेत्र या क्षेत्रों में विशेष रूप से अन्य वस्तुओं के विनिर्माण में या पैकिंग सामग्री के रूप में किया जाता है, पर बढ़ी हुई दर से कर आरोपणीय है।

लेखापरीक्षा ने 11²³ ईकाइयों के 9,119 (स्व-कर निर्धारण-2,678 एवं कर निर्धारण-6,441) में से 2,278 (स्व-कर निर्धारण-1,221 एवं कर निर्धारण-1,057) प्रकरणों की नमूना जाँच में पाया कि 27 व्यवसायियों के 30 प्रकरणों (स्व-कर निर्धारण-17 एवं कर निर्धारण-13) में कर निर्धारण प्राधिकारियों/व्यवसायियों ने कर निर्धारण करते समय/विवरणी प्रस्तुत करते समय छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम, 1976 की अनुसूची-II एवं III तथा अधिसूचनाओं में निर्धारित प्रवेश कर की उचित दर का आरोपण नहीं किया। फलस्वरूप, प्रवेश कर की राशि ₹ 203.70 लाख का अनारोपण एवं राशि ₹ 61.51 लाख का कम आरोपण हुआ, जिसका विवरण परिशिष्ट 4.3.2 में दिया गया है।

इंगित किए जाने (अक्टूबर 2021) पर शासन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि सात प्रकरणों में कर की राशि ₹ 36.16 लाख की माँग हेतु नोटिस जारी की गई है तथा एक प्रकरण में राशि ₹ 5.61 लाख की वसूली की गई है। तेर्झस प्रकरणों में व्यवसायियों को पुनर्निर्धारण नोटिस जारी की गई है।

²³ वाणिज्यिक कर अधिकारी-1, रायपुर; वाणिज्यिक कर अधिकारी-2, रायपुर; वाणिज्यिक कर अधिकारी-3, रायपुर; वाणिज्यिक कर अधिकारी-4, रायपुर; वाणिज्यिक कर अधिकारी-6, रायपुर; वाणिज्यिक कर अधिकारी-7, रायपुर; वाणिज्यिक कर अधिकारी-9, रायपुर; सहायक आयुक्त-2, रायपुर; सहायक आयुक्त-3, रायपुर; सहायक आयुक्त-4, रायपुर एवं सहायक आयुक्त-7, रायपुर

4.3.7.3 घोषणा फॉर्म के बिना केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अंतर्गत अंतराज्यीय विक्रय पर कर की रियायती दर प्रदाय किया

घोषणा फॉर्म 'सी' की प्रस्तुति सुनिश्चित किए बिना कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर की दर में रियायत प्रदान करने के फलस्वरूप केन्द्रीय विक्रय कर की राशि ₹ 1.80 करोड़ का कम आरोपण हुआ

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 फॉर्म 'सी' में वस्तुओं के अंतराज्यीय विक्रय पर की गई घोषणा के विरुद्ध टर्नओवर के दो प्रतिशत अथवा संबंधित राज्य में लागू कर की दर में से जो भी कम हो, की दर से कर के आरोपण का प्रावधान करता है जो जून 2008 से प्रभावशील होगा। फॉर्म 'सी' के अभाव में व्यवसायी उस वस्तु के लिए छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 में विनिर्दिष्ट दरों पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

लेखापरीक्षा ने 11²⁴ ईकाइयों के 8,850 (स्व-कर निर्धारण—2,628 एवं कर निर्धारण—6,222) में से 2,140 (स्व-कर निर्धारण—1,144 एवं कर निर्धारण—996) प्रकरणों की नमूना जाँच में पाया कि 22 व्यवसायियों के 24 स्व-कर निर्धारण प्रकरणों एवं एक कर निर्धारण प्रकरण में अंतराज्यीय विक्रय राशि ₹ 48.43 करोड़ के समर्थन में फॉर्म 'सी' प्रस्तुत नहीं किए गए। फॉर्म 'सी' के अभाव में व्यवसायियों को कर की रियायती दर शून्य/दो प्रतिशत के स्थान पर पाँच या 14/14.5 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करना था। कर निर्धारण प्राधिकारियों को फॉर्म 'सी' समर्थित अंतराज्यीय लेनदेन के नियमों के अनुसार कर की रियायती दर की अनुमति देनी चाहिए थी। हालांकि, उपरोक्त प्रकरणों में व्यवसायियों ने केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अंतर्गत सी-फॉर्म के बिना कर की रियायती दर शून्य/दो प्रतिशत का लाभ उठाया। फलस्वरूप, कर की राशि ₹ 179.91 लाख की कम प्राप्ति हुई, जिसका विवरण परिशिष्ट 4.3.3 में दिया गया है।

इंगित किए जाने (अक्टूबर 2021) पर शासन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि पाँच प्रकरणों में राशि ₹ 11.13 लाख की माँग हेतु नोटिस जारी की गई हैं तथा एक प्रकरण में राशि ₹ 0.99 लाख की वसूली की गई है। साथ ही यह भी बताया गया कि 20 प्रकरणों में व्यवसायियों को पुनर्निर्धारण नोटिस जारी की गई हैं।

4.3.7.4 पारगमन विक्रय के लिए वैधानिक फॉर्म के बिना केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अंतर्गत कर में छूट की अनुमति प्रदान की गई

वैधानिक फॉर्म 'ई—I तथा सी' प्रस्तुत किए बिना कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कर की राशि ₹ 1.07 करोड़ की छूट दी गई

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956, पारगमन विक्रय पर कर में छूट का प्रावधान करता है। छूट के दावे के लिए व्यवसायियों को ऐसे विक्रय के समर्थन में फॉर्म 'ई—I/II' और फॉर्म 'सी' प्रस्तुत करना होता है। ई—I/सी फॉर्म के अभाव में इन वस्तुओं पर छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 में विनिर्दिष्ट दरों पर कर आरोपणीय है।

लेखापरीक्षा ने चार²⁵ ईकाइयों में 924 प्रकरणों (स्व-कर निर्धारण—463 एवं कर निर्धारण—461) में से 546 प्रकरणों (स्व-कर निर्धारण—322 एवं कर निर्धारण—224) की

²⁴ वाणिज्यिक कर अधिकारी—2, रायपुर; वाणिज्यिक कर अधिकारी—3, रायपुर; वाणिज्यिक कर अधिकारी—4, रायपुर; वाणिज्यिक कर अधिकारी—7, रायपुर; वाणिज्यिक कर अधिकारी—9, रायपुर; सहायक आयुक्त—1, रायपुर; सहायक आयुक्त—2, रायपुर; सहायक आयुक्त—3, रायपुर; सहायक आयुक्त—4, रायपुर; सहायक आयुक्त—7, रायपुर एवं सहायक आयुक्त—9, रायपुर

²⁵ सहायक आयुक्त—3, रायपुर; सहायक आयुक्त—4, रायपुर; सहायक आयुक्त—7, रायपुर

नमूना जाँच में पाया कि सात स्व—कर निर्धारण प्रकरणों में व्यवसायियों ने केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पारगमन विक्रय के समर्थन में 'ई—I' / 'सी' फॉर्म प्रस्तुत किए बिना पारगमन विक्रय राशि ₹ 23.04 करोड़ पर कर के भुगतान से छूट का दावा किया था। वैधानिक फॉर्म के अभाव में व्यवसायियों को दो/चार/पाँच या 14 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करना था। व्यवसायियों द्वारा अपने विवरणी के साथ वैधानिक फॉर्म को संलग्न किये बिना कर से छूट के गलत दावे के फलस्वरूप कर की राशि ₹ 107.16 लाख की कम प्राप्ति हुई जिसका विवरण परिशिष्ट 4.3.4 में दिया गया है।

इंगित किए जाने (अक्टूबर 2021) पर शासन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि तीन प्रकरणों में राशि ₹ 55.96 लाख की माँग हेतु नोटिस जारी की गई है तथा चार प्रकरणों में व्यवसायियों को पुनर्निर्धारण नोटिस जारी की गई है।

4.3.7.5 भंडार अंतरण हेतु वैधानिक फॉर्म के बिना केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अंतर्गत कर में छूट की अनुमति प्रदान की गई

वैधानिक फॉर्म 'एफ' प्रस्तुत किए बिना कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कर की राशि ₹ 2.35 करोड़ की छूट की अनुमति दी गई

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956, वस्तुओं के शाखा अंतरण पर कर में छूट का प्रावधान करता है। छूट के दावे के लिए व्यवसायियों को ऐसे शाखा अंतरण के समर्थन में फॉर्म 'एफ' प्रस्तुत करना पड़ता है। फॉर्म 'एफ' के अभाव में इन वस्तुओं पर छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 में विनिर्दिष्ट दरों पर कर कर आरोपणीय है।

लेखापरीक्षा ने छ:²⁶ ईकाइयों में 5,849 (स्व—कर निर्धारण—1,366 एवं कर निर्धारण—4,483) में से 1,142 (स्व—कर निर्धारण—639 एवं कर निर्धारण—503) प्रकरणों की नमूना जाँच में पाया कि नौ व्यवसायियों के 11 स्व—कर निर्धारण प्रकरणों में केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत राशि ₹ 18.07 करोड़ के शाखा अंतरण के समर्थन में कोई भी 'एफ' फॉर्म प्रस्तुत नहीं किया गया परंतु व्यवसायियों/करदाताओं द्वारा इस लेनदेन पर कर के भुगतान से छूट का दावा किया गया। वैधानिक फॉर्म के अभाव में व्यवसायियों को पाँच या 14/14.5 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करना था। व्यवसायियों/करदाताओं द्वारा घोषणा फॉर्म संलग्न किये बिना कर से छूट के गलत दावे के फलस्वरूप कर की राशि ₹ 235.33 लाख का कम आरोपण हुआ जिसका विवरण परिशिष्ट 4.3.5 में दिया गया है।

इंगित किए जाने (अक्टूबर 2021) पर शासन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि दो प्रकरणों में राशि ₹ 160.13 लाख की माँग हेतु नोटिस जारी की गई है तथा नौ प्रकरणों में व्यवसायियों को पुनर्निर्धारण नोटिस जारी की गई है।

4.3.8 अन्य महत्वपूर्ण प्रकरण

4.3.8.1 पारगमन विक्रय के लिए नकली फॉर्म प्रस्तुत किया जाना

पारगमन विक्रय के लिए नकली 'ई—I' फॉर्म प्रस्तुत किये जाने से कर की राशि ₹ 1.42 लाख का अपवंचन हुआ

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 6(2), माल के पारगमन विक्रय के समर्थन में फॉर्म 'सी' तथा 'ई—I' में घोषणा करने पर कर के आरोपण से छूट का प्रावधान करता है।

²⁶ वाणिज्यिक कर अधिकारी—3, रायपुर; वाणिज्यिक कर अधिकारी—7, रायपुर; सहायक आयुक्त—1, रायपुर; सहायक आयुक्त—2, रायपुर; सहायक आयुक्त—3, रायपुर एवं सहायक आयुक्त—9, रायपुर

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त-1, रायपुर के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच में लेखापरीक्षा ने पाया (दिसंबर 2020) कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 21(5) के अंतर्गत लौह एवं इस्पात के पारगमन विक्रय की राशि ₹ 35.81 करोड़ के समर्थन में ई-I/सी फॉर्म प्रस्तुत करने पर कर निर्धारण प्राधिकारी ने अपने कर निर्धारण आदेश दिनांक दिसंबर 2019 में कर से छूट की अनुमति प्रदान की। केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 6(2) के अंतर्गत व्यवसायी को इस विक्रय पर सम्पूर्ण कर से छूट की अनुमति दी गई और तदनुरूप व्यवसायी ने छत्तीसगढ़ (विक्रेता व्यवसायी) का 'ई-I' फॉर्म तथा छत्तीसगढ़ के बाहर (क्रेता व्यवसायी) का 'सी' फॉर्म भी प्रस्तुत किया। 'ई-I' फॉर्म की संवीक्षा में पाया गया कि प्रकरण के साथ प्रस्तुत किये गए राशि ₹ 70.77 लाख के छ: 'ई-I' फॉर्म की छपाई का प्रारूप तथा कागज की गुणवत्ता की बनावट अन्य 'ई-I' फॉर्म से भिन्न थी। ये 'ई-I' फॉर्म, छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर विभाग के जारी करने वाले वृत्त (वृत्त-5, रायपुर) से सत्यापित कराये गए तथा लेखापरीक्षा ने पाया कि उपरोक्त 'ई-I' फॉर्म नकली/जाली हैं क्योंकि जारी करने वाले वृत्त ने बताया कि ये फॉर्म उनके द्वारा जारी नहीं किये गए हैं। फलस्वरूप कर की राशि ₹ 1.42 लाख (₹ 70.77 लाख का दो प्रतिशत) का अपवंचन हुआ। छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 54 के अंतर्गत कर का अपवंचन होने पर ₹ 7.10 लाख की शास्ति भी आरोपणीय है।

इंगित किए जाने (अक्टूबर 2021) पर शासन का कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसंबर 2022)।

4.3.9 निष्कर्ष

वाणिज्यिक कर अधिकारियों तथा सहायक आयुक्तों के क्षेत्राधिकार की 14 ईकाइयों के नमूना जाँच के माध्यम से वाणिज्यिक कर विभाग के अनुपालन लेखापरीक्षा से मालों के गलत वर्गीकरण के कारण मूल्य संवर्धित कर तथा प्रवेश कर की गलत दर के अनुप्रयोग से मूल्य संवर्धित कर की राशि ₹ 6.50 करोड़ तथा प्रवेश कर की राशि ₹ 2.65 करोड़ के कम आरोपण के प्रकरण उजागर हुए। करदाता द्वारा वैधानिक फॉर्म प्रस्तुत किए बिना कर निर्धारण प्राधिकारियों ने केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अंतर्गत अंतरराज्यीय विक्रय/शाखा विक्रय/पारगमन विक्रय पर कर की रियायती दर/कर से छूट की अनुमति दी जिसके फलस्वरूप ₹ 5.22 करोड़ कर की कम वसूली हुई।